सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 124, नई दिल्ली । सोमवार, 15 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने छोटे-छोटे कामों में भी अपने दिल ,दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है ।

03 मॉब लिंचिंग एवं ग़ैर क़ानूनी बुल्डोज़र नीति पर लगाम लगाने की मांग
06 इन सवालों के जवाब कौन देगा?
08 उच्च-प्रदर्शन स्व-चर्चा आपके करियर की सफलता को बढ़ावा देती है

क्या दिल्ली की जनता जानती है की ऑटो के किराए में आप से जीपीएस के नाम से भी पैसे लिए जाते हैं?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा 9 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी कर ऑटो तीन पहिया का नया किराया घोषित किया था जिसमे दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने किराए में संशोधन दर के लिए दिल्ली में ऑटो की सेवा लेने वालो पर जीपीएस के नाम का अधिभार भी जोड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दिल्ली में पंजीकृत सभी सवारी वाहनों पर जीपीएस/ वीएलटीडी संयत्र लगाना अनिवार्य है और सभी में लगा भी हुआ है और उसका अधिभार वाहन मालिक ही उठाता है पर 2020 में कोरोना काल में परिवहन विभाग द्वारा ऑटो तीन पहिया को इस संयत्र से छूट दे दी थी और आज तक यह छुट लागू है, **जब ऑटो तीन पहिया में जीपीएस ही नहीं तो उसका अधिभार जनता पर क्यों, बड़ा सवाल ?** क्या जनता का पैसा पानी है जो किसी और के द्वारा किए जाने वाले खर्चे/ बिना खर्चा किए भी जनता से वसूल करवाया जा रहा है। **क्या भारत देश के अन्दर कोई ऐसा नियम/ कानून/ धारा है जहा सरकार किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को इस तरह पैसा देने के लिए बाध्य कर पैसा दिलवा सकती हैं** जैसे दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ऑटो तीन पहिया को दिलवा रहा है।

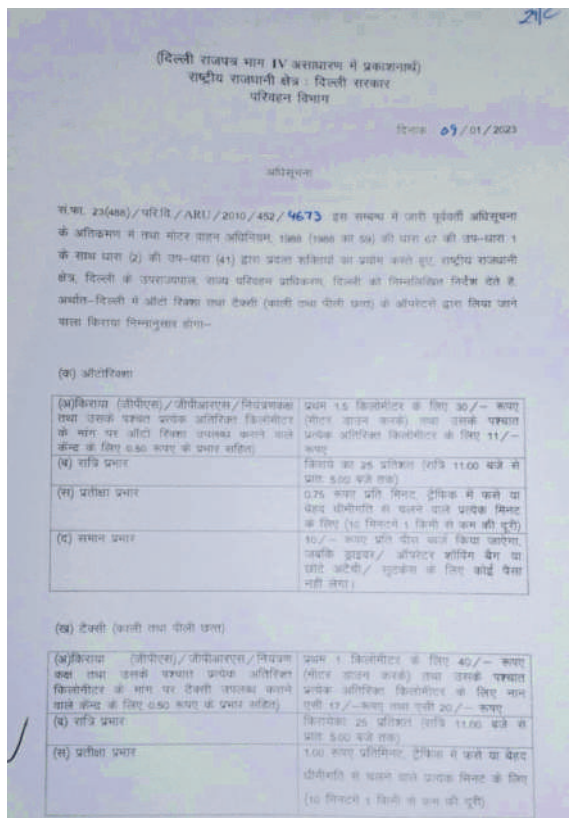

(दिल्ली राजपत्र भाग IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग

दिनांक 09/01/2023

अधिसूचना

सं.फा. 23(488)/परि.वि./ARU/2010/452/4673 ...

(क) ऑटोरिक्शा

(अ) किराया (जीपीएस)/जीपीआरएस/नियंत्रणकक्ष ...	प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए 30/- रुपए ... प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 11/- रुपए
(ब) रात्रि प्रभार	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)
(स) प्रतीक्षा प्रभार	0.75 रुपए प्रति मिनट ...
(द) समान प्रभार	10/- रुपए प्रति पीस चार्ज किया जाएगा, जबकि ड्राइवर/ ऑपरेटर शॉपिंग बैग या छोटे अटैची/ सूटकेस के लिए कोई पैसा नहीं लेगा।

(ख) टैक्सी (काली तथा पीली छत)

(द) सामान प्रभार	15/- रुपए प्रति पीस चार्ज किया जाएगा, जबकि ड्राइवर/ ऑपरेटर शॉपिंग बैग या छोटे अटैची/ सूटकेस के लिए कोई पैसा नहीं लेगा।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से लागू होगा।

नोट : किराया वृद्धि की पुरानी अधिसूचना निम्नलिखित है:-

1. ऑटोरिक्शा- दिल्ली राजपत्र असाधारण सं 278 दिनांक 23.12.2020 (रा.रा.रा.क्षे. दि.सं 234)
2. टैक्सी (काली तथा पीली छत) -दिल्ली राजपत्र असाधारण सं 77 दिनांक 08.05.2013 (रा.रा.रा.क्षे. दि.सं 30)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(आशीष कुंद्रा)
प्रधान सचिव (परिवहन)

उन्नाव हादसे के बाद बिहार में एक्शन
24 घंटे में 252 बसें जब्त; लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ, एमवीआई को लगातार वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह अभी कहा कि अगर कोई बस बिना फिटनेस, परमिट, स्पीट लिमिट डिवाइस के चलती पाई गई तो इसके लिए दोषी जिला परिवहवन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक जिम्मेदार होंगे।

पटना। उन्नाव हादसे के बाद एक समाचार पत्र बताया कि बिहार की कई बसें बिना परमिट और बीमा के ही चल रही हैं। खबर के बाद बिहार सरकार एक्शन में आई है। अब बिहार सरकार अवैध रूप से चल रहे बसों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटे में परिवहन विभाग ने राज्य में 252 बसों पर कार्रवाई की है। इनके मालिकों से 47.87 लाख रुपयो जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं अवैध पाए गए 26 बसों को जब्त भी गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ, एमवीआई को लगातार वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह अभी कहा कि अगर कोई बस बिना फिटनेस, परमिट, स्पीट लिमिट डिवाइस के चलती पाई गई तो इसके लिए दोषी जिला परिवहवन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक जिम्मेदार होंगे।

कई लंबी दूरी की बसें टूरिस्ट परमिट पर चल रही हैं

'समाचार पत्र' ने हादसे के कुछ घंटे बाद ही सामने ला दिया था कि यह बस बगैर परमिट और बीमा के चल रही थी। अब आज, बिहार के उन जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट- जहां की बस दूसरे राज्यों में भारी तादाद में लोगों को ले जाती है। यह रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ वही बस खटारा नहीं थी, जो उन्नाव में हादसे का शिकार हुई। सिर्फ वही इकलौती बस नहीं थी, जो नियमों को तोड़कर रोज राज्य और दूसरे प्रदेशों का सफर कर रही। 'समाचार पत्र' की पड़ताल में पता चला कि सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज में कई लंबी दूरी की बसें टूरिस्ट परमिट पर चल रही हैं।

दिल्ली समेत कई शहरों तक जाती हैं बिहार से बसें

सीतामढ़ी, शिवहर गोपालगंज से दर्जनों की संख्या से अधिक स्लीपर डबल डेकर बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के बड़े शहरों तक जाती हैं। हालांकि, इसके मानक का ख्याल बिलकुल नहीं रखा जाता है। लंबी दूरी की इन बसों में से ज्यादातर में पुरानी बसों में ही मनमाना बदलाव कर डबल डेकर बनाकर चलाई जाती हैं। बस में बदलाव के लिए एमवीआई से मंजूरी भी नहीं ली जाती। बिना मंजूरी मनमाने बदलाव के बाद भी अवैध बसों का फिटनेस एमवीआई कार्यालय से पास हो जाता है और इस आधार पर इन्हें टूरिस्ट परमिट मिल जाता है। टूरिस्ट परमिट पर ही ये लोग परिचालन करते है। इन बसों में क्षमता से अधिक सवारियों को ठूंसकर बैठाया जाता है। एक बस में 70 से 80 यात्रियों को ढोया जाता है। मनमाना बदलाव कर डबल डेकर बनाई गई बसों को लोहे के चादर और प्लाइवुड से पैक कर दिया जाता है। इनमें न इमरजेंसी गेट बनाया जाता और न स्पीड गवर्नर लगा होता है।

आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन वसंत कुंज से प्राइवेट कंपनियां ओला, उबेर, इन ड्राइव, रैपीडो जो दिल्ली मे प्राइवेट बाइकों के माध्यम से सवारी उठाने का कार्य करवा रही हैं।और अवैध वाहनों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्यवाही नही कर रहा है।इसके खिलाफ ऑटो टैक्सी चालकों ने मिलकर पोस्टर अभियान चलाया और डिपार्टमेंट के खिलाफ विरोध प्रकट किया। यह अभियान पूरी दिल्ली मे सभी ऑटो टैक्सी चालक चलाएंगे।

– *उपेन्द्र सिंह (महासचिव)*

वाहन चालक हो जाएं सावधान! दिल्ली में सोमवार से कट सकता है 11 हजार रुपये तक चालान, जानें पूरा मामला

नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालक अब हो जाएं सावधान. सोमवार से अगर आपकी कार या किसी भी तरह की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी मिलेगी तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

नई दिल्ली। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालक अब हो जाएं सावधान. सोमवार से अगर आपकी कार या किसी भी तरह की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) नहीं लगी मिलेगी तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. दिल्ली परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस सोमवार से पूरे दिल्ली में बिना एचएसआरपी (HSRP) के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने जा रहा है. इस अभियान में 5500 रुपये से लेकर 11 हजार रुपये तक चालान काटा जाएगा.

लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इस अभियान को रोक दिया गया था. लेकिन, एक बार फिर से सोमवार से सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर सख्ती शुरू हो जाएगी. दिल्ली परिवहन विभाग की कई टीमें कल से सड़कों पर उतरेंगी. दिल्ली के साथ-साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़ कर चालान शुरू करेगी.

अब दिल्ली में कटेगा 11 हजार रुपये का चालान

परिवहन विभाग के मुताबिक, एचएसआरपी के अलावा ईंधन कलर कोड स्टिकर भी लगते हैं. यदि आपकी गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी से है तो नीले रंग का कलर स्टिकर कोड लगेगा. अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो भूरे रंग की और अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो हरे रंग का कलर स्टिकर कोड लगता है. अगर वाहन में एचएसआरपी नहीं है तो 5500 रुपये और अगर कलर कोड स्टिकर भी नहीं है तो 5500 रुपये और चालान कट सकता है. कुल 11 हजार रुपये आपके खाते से चला जाएगा.

ऐसे में अगर आपने भी अपनी गाड़ियों में अभी तक एसएसआरपी नहीं लगाया है तो तुरंत ही लगा लें, वरना 11 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. एचएसआरपी एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है. एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है. इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय पहचान संख्या दिया जाता है. मोदी सरकार ने गाड़ियों की चोरी और अवैध कारोबार के लिहाज से एचएसआरपी लाया गया है।

सरकार ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी दे रही है, 1800 चार्जिंग स्टेशन बनाया है, आज पूरे देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली मे है

सुषमा रानी

परिवहन विशेष, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि बीते 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अनेकों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कदम उठाए हैं। इस लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत आज दिल्ली की सभी इंडस्ट्री सीएनजी से पीएनजी ईंधन पर आ चुकी हैं। आज दिल्ली में एक प्रगतिशील इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसके तहत दिल्ली में, पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे गए हैं। केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में अब तक 1800 चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करीब 1800 बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं, जिससे काफी हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, जिससे जनरेटर और इनवर्टर का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो चुका है।

प्रियंका कक्कड़ ने आगे बताया कि इसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत केजरीवाल सरकार पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के ग्रीन कवर को ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले गई है। आज दिल्ली का ग्रीन कवर 23 फीसद से ज्यादा है। बीते 4 सालों में ही दिल्ली में करीब 2 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में कुल 17 सिटी फॉरेस्ट मौजूद हैं और अब दिल्ली सरकार इसमें 6 अन्य सिटी फॉरेस्ट और शामिल करने जा रही है। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, आईटीओ चुंगी पार्ट-2 के पास, मुखमेलपुर, शिकारपुर, आया नगर और जौनापुर में सिटी फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने एक ईको सेंसिटिव जोन में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना चोरी-छिपे 1100 पेड़ कटवा दिए। जबकि वहां एक भी पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है। बिना कोर्ट की इजाजत के उस सतबरी रिज एरिया से एक भी पेड़ काटना गैरकानूनी है।

आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने एक ईको सेंसिटिव जोन में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना चोरी-छिपे 1100 पेड़ कटवा दिए। जबकि वहां एक भी पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है। बिना कोर्ट की इजाजत के उस सतबरी रिज एरिया से एक भी पेड़ काटना गैरकानूनी है।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए पेड़ कितने जरूरी हैं। बोर्ड की वेबसाइट का 'ट्री एंड एनवायरनमेंट' कॉलम कहता है कि एक परिपक्व पेड़ साल में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। साथ ही, ये पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक पेड़ दो लोगों की सालाना ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। ये वायु को साफ करने के साथ-साथ जमीन और भूजल को भी साफ रखते हैं। पेड़ों की जड़ें बारिश के पानी को फिल्टर करने और मिट्टी में जरूरी खनिजों को अवशोषित करने का काम करती हैं। इसलिए आज के समय में दिल्ली में एक भी पेड़ काटना दिल्लीवालों के साथ अत्याचार है। एलजी साहब पेड़ों के हत्यारे हैं।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एलजी ने 3 फरवरी को सतबरी रिज एरिया का दौरा किया और पेड़ काटने के मौखिक निर्देश दिए, जबकि वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते है। सवाल उठता है कि उन्होंने अपने किस पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए खुद जाकर निर्देश दिए? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो उसने कई बार एलजी को फटकार लगाई और कहा कि आप अपने आप को कोर्ट मानने लगे हैं। केस की तीन सुनवाईयों तक एलजी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। वहीं, भाजपा दिल्लीवालों को यह बोलकर गुमराह करने में लगी रही कि दिल्ली सरकार ने इसकी इजाजत दी थी, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि इसकी अनुमति केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब एलजी दिल्ली के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने नेताजी नगर, पूर्वी किदवई नगर, और नॉरोजी नगर में लगातार पेड़ कटवाए हैं। केंद्र सरकार को पूर्वी किदवई नगर में 9000 पेड़ लगाने थे, लेकिन एलजी ने वहां 1600 पेड़ काट दिए। इसी तरह, उन्होंने नॉरोजी नगर में 1302 पेड़ काट दिए, जबकि वहां उन्हें 14650 पौधे लगाने थे, वो नहीं लगाए गए। एलजी लगातार दिल्ली के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि वे ऐसा क्यों और किसके कहने पर कर रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों गुमराह कर रहे हैं? भाजपा दिल्ली की जनता को क्यों गुमराह कर रही है? अगर एलजी दिल्ली के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम दिल्लीवालों को नुकसान पहुंचाना बंद करें।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

अगर आप भी है वर्किंग वुमन तो इंवेस्टमेंट की ये तरकीबें आएंगी आपके बहुत ही काम, यहां जानें सारी जरुरी डिटेल

अगर आप वर्किंग वॉमन है और अपने लिए बेस्ट इंवेस्टमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं तो हम आपके कुछ ऐसे ऑप्शन लाए है जिसकी मदद से आप अपने लिए सही इंवेस्टमेंट कर सकती हैं। इस लिस्ट में गोल्ड इंवेस्टमेंट म्युअल फंड से लेकर फिस्ड डिपॉजिट तक सब तक शामिल है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इंवेस्ट कर सकते है।

भारत में बहुत सी ऐसी महिलाएं है, जो घर से बाहर निकल कर काम करती है। ऐसे में हम अपने काम में इतने महगूल हो जाते हैं कि हमें कभी-कभी ख्याल भी नहीं रहता है कि हम अपने लिए कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में इंवेस्मेंट का एक सही विकल्प हमेशा हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ विकल्प के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए इंवेस्मेंट का बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आइये इनके बारे में जानते हैं।

गोल्ड इंवेस्टमेंट

पुराने समय से ही भारत में महिलाएं सोने में इंवेस्ट करती आ रही है, चाहे वो सोने का गहना हो या सोने की बिस्किट वे इसमें इंवेस्ट करती है।

सबसे अच्छी बात है कि अब गोल्ड में इंवेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें गहने, सिक्के, बार, गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, गोल्ड फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रोग्राम आदि शामिल हैं।

म्यूचुअल फंड SIP

अगर आप कम जोखिम के साथ इंवेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए निवेश का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको अपने अनुसार निवेश करना होगा। अपने बजट के अनुसार आप इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं।

अगर आप लंबे समय के लिए इंवेस्ट करना चाहते हैं तो बता दें कि SIP आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह किफायती होने के साथ-साथ आसान भी है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमें पेंशन नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार आपको लिए रिटायमेंट के बाद पैसे सुरक्षित रखने का उपाय लेकर आई है।

सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने लिए पैसे सुरक्षित कर सकते हैं।

एनपीएस योजना में आप बहुत से सिक्योरिटी प्लान में निवेश कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, लिक्विड फंड, सरकारी बॉन्ड आदि शामिल हैं।

ठंड में अपने बच्चों को रखें स्वस्थ नियमित खिलाएं यह आहार, बाल रोग विशेषज्ञ से लें टिप्स

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय कुमार बताते हैं कि सर्द हवा के कारण पड़ रही ठंड में बच्चों अधिक बीमार होते हैं. इससे उन्हें बचाने के लिए ताजा फल और गर्म खाना खिलाना चाहिए. साथ ही बच्चों के पूरे शरीर को अच्छे से ढंक कर रखें.

जिले में धीरे-धीरे ठंड अपने चरम की ओर बढ़ रही है. ऐसे मौसम में बच्चों को सबसे अधिक सर्दी-बुखार और कोल्ड डायरिया का खतरा बना रहता है. यही कारण है कि बच्चों के बीमार पड़ने का सभी को डर सताने लगता है. इसे लेकर सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय कुमार कहते हैं कि जब तेजी से मौसम बदल रहा हो तो वायरल इंफेक्शन बढ़ जाता है. ऐसे में बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. 5 से 13 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद लेनी चाहिए. अगर पूरी नींद लेंगे तो उनकी इम्युनिटी भी मजबूत बनेगी.

बच्चों के साथ मां भी रखें अपनी सेहत का ख्याल

डॉ. विनय कुमार कहते हैंकि बच्चों को रजाई या गर्म स्थान से अचानक बाहर या ठंडे जगह पर ले जाने से बचना चाहिए. बच्चों के कान, हाथ, पैर सहित शरीर को पूरी तरह से गर्म कपड़े से ढंक कर रखना चाहिए. बच्चों का तेल मालिश जरूर करें, ताकि उनके शरीर का रोम छिद्र खुला रहे.

बेहद खास है ये ताकत देने वाले काले बीज डॉक्टर से जानें कैसे

बेहद खास है ये ताकत देने वाले काले बीज डॉक्टर से जानें कैसेआगे देखें...

गर्म एवं ताजा खाने के साथ मौसमी फल खिलाएं. वे बताते हैं कि बच्चे की मां को भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि अगर मां बीमार होगी तो बच्चों के सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा. वे बताते हैं कि संक्रमण से लड़ने के लिए पोषक तत्व की जरूरत होती है. ऐसे में 5 साल से बड़े बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से सब्जी और फल खिलाना चाहिए.

सर्द हवा के कारण 11 डिग्री तक लुढ़का रात का पारा

बीते एक पखवारा में तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. साथ ही तेज पछुआ हवा भी चल रही है. इस कारण शाम ढलते ही कनकनी बढ़ने लगती है. जिले में बीते एक पखवारा के दौरान तापमान अधिकतम 32 से लुढ़क कर 22 एवं न्यूनतम 23 डिग्री से लुढ़क कर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है.

इन कारणों से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चे, बुजूर्ग, दिहाड़ी मजदूर और कामकाजी लोगों को हो रही है. तापमान में तेजी से हो रही गिरावट के अलावा दिन और रात के तापमान में भारी अंतर आने से लोग बीमार पड़ रहे हैं. इस कारण अस्पतालों में सर्दी-खांसी, कोल्ड डायरिया, बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं.

बाहें फैलाकर आपको बुला रहे हैं ये 5 खूबसूरत डेस्टिनेशन सुकून से बीतेगा रोमांस का पल, यादों में बसा रहेगा जिंदगी भर

अक्सर रोज की भागदौड़, वर्क प्रेशर, घर-परिवार की देखभाल के कारण कपल्स एक-दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं. फिजिकली और मेंटली भी थकान महसूस होती है. ऐसे में कुछ दिनों के लिए सिर्फ एक-दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, जिंदगी का मजा उठाना चाहते हैं तो कपल ट्रैवल पर निकल पड़ें. सभी कामों से एक सप्ताह का ब्रेक लेकर आप किसी फेवरेट डेस्टिनेशन की सैर कर आएं. यदि आप देश के बाहर कहीं घूमना चाहते हैं तो कई ऐसी जगहें हैं, जो आपका मूड फ्रेश कर देंगे. सारी तनाव, परेशानियों को भूल जाएंगे. ये ट्रैवल डेस्टिनेशंस ऐसे हैं, जिन्हें न्यूली वेड कपल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

बाली– आपको कपल ट्रैवल डेस्टिनेशन की तलाश है, जहां की खूबसूरत वादियां आपका मन मोह लें तो आप एक बाली होकर आएं. बाली के खूबसूरत बीच (Beach) पर आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. अपने जीवन को दोबारा से रोमांटिक बना सकते हैं. रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं. यहां का फूड भी बेहद स्वादिष्ट होता है. प्रत्येक साल यहां कपल्स सबसे अधिक घूमने आते हैं.

मालदीव– अधिकतर कपल्स मालदीव जाना पसंद करते हैं. यदि आपका सपना है मालदीव जाने का तो एक बार यहां जरूर घूम आएं. यहां के बीचेज पर बने छोटे-छोटे कॉटेज या बीच हाउस में सुकून भरा पल आपको साथ बिताने का भरपूर मौका मिलेगा. मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यह एक शानदार कपल ट्रैवल और हनीमून डेस्टिनेशन साबित हो सकता है.

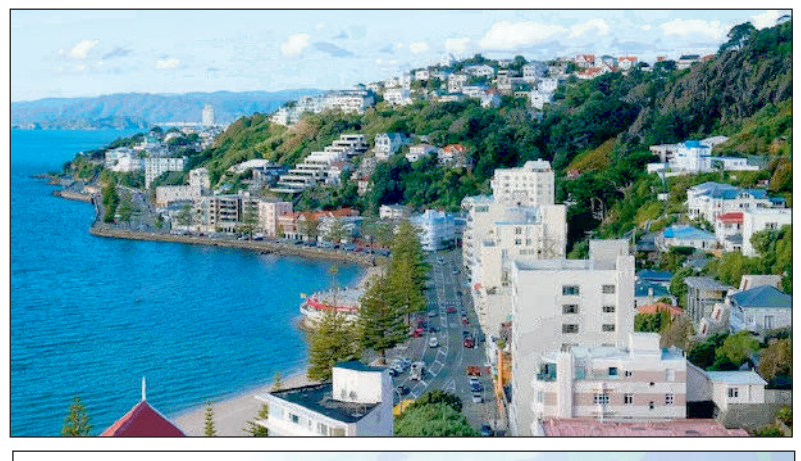

वियतनाम– वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जो अपने समुद्र तटों, नदियों, बौद्ध पैगोडा आदि के लिए मशहूर है. जो कपल कम पैसे में फुल मस्ती करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है वियतनाम में ट्रैवल करना. यहां आपको कई चीजें देखने को मिल जाएंगी. खूबसूरत समुद्र तटों पर आप एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पल स्पेंड कर सकते हैं.

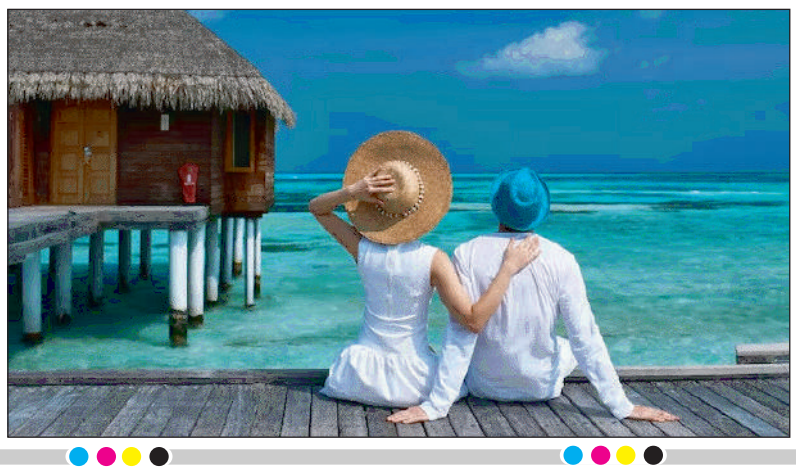

न्यूजीलैंड– यदि आपको किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन की तलाश है तो आप न्यूजीलैंड का भी रुख कर सकते हैं. न्यूली वेड कपल्स के लिए भी यह एक शानदार हनीमून डेस्टिनेशन साबित हो सकता है. नीले-नीले समुंदर, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ में एक-दूसरे के साथ घूमने से आपको रुमानी अहसास होगा.

मॉरीशस– आप बाली, मालदीव जा चुके हैं तो इस बार मॉरीशस घूमने का प्लान बनाएं. हाल ही में शादी हुई है और हनीमून प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए मॉरीशस बेस्ट कपल ट्रैवल डेस्टिनेशन होगा. कहा जाता है कि धरती के खूबसूरत जगहों में से एक है मॉरीशस. यहां के खूबसूरत समुद्र तटों के किनारे लाइफ पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डाले घूमना बेहद खास अहसास देगा. आप यहां आकर यहां के फूड्स, कल्चर, प्लेसेज का भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

देश में खुल सकता है पहला अंडर ग्राउंड म्यूजियम, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में बना है संग्रहालय

हुमायूं के मकबरे स्थल पर भूमिगत संग्रहालय को खोले जाने की संभावना है। इसका उद्घाटन यहां डब्ल्यूएचसी के आगामी सत्र के दौरान किसी समय किया जा सकता है। भारत 21-31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में डब्ल्यूएचसी के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। यहीं बैठक में इसका फैसला लिया जा सकता है। जामुद्दीन क्षेत्र में 16वीं शताब्दी का यह मकबरा है।

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रतिष्ठित हुमायूं के मकबरे पर बने ₹देश के पहले₹ भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) की आगामी बैठक के दौरान उद्घाटन का कार्यक्रम तय करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत 21-31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में डब्ल्यूएचसी के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा।डब्ल्यूएचसी की बैठक के संयोजन में विश्व धरोहर स्थल प्रबंधक फोरम का छठा संस्करण 18-25 जुलाई तक यहां आयोजित किया जाएगा।

पहली बार भारत रहा मेजबानी : दिल्ली में इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि कम से कम तीन दिनों के लिए, दुनिया भर के सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर संपत्तियों के साइट प्रबंधक फोरम में भाग लेने के लिए हुमायूं के मकबरे के स्थल पर एकत्र होंगे। यह पहली बार है कि भारत डब्ल्यूएचसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है।

6वीं शताब्दी का यह मकबरा : संस्कृति मंत्रालय और एएसआई यहां इसके 46वें सत्र की मेजबानी के लिए नोडल एजेंसियां हैं। दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में 16वीं शताब्दी का यह मकबरा है, जिसे साइट प्रबंधकों के मंच के लिए चुना गया है। यह अपने वास्तुशिल्प वैभव और शानदार लान के लिए जाना जाता है। इसका जीर्णोद्धार भी सामुदायिक भागीदारी का एक नमूना है।

यह दिल्ली के तीन विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, अन्य दो लाल किला और कुतुब मीनार हैं, ये तीनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन हैं।

डब्ल्यूएचसी के आगामी सत्र में हो सकता है उद्घाटन

सूत्रों के अनुसार, प्रतिष्ठित हुमायूं के मकबरे स्थल पर भूमिगत संग्रहालय को खोले जाने की संभावना है। इसका उद्घाटन यहां डब्ल्यूएचसी के आगामी सत्र के दौरान किसी समय किया जा सकता है।

मानवाधिकारो को लेकर दिल्ली में PUCL फिर सक्रिय होने की तैयारी में, किया सभा का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। एक अर्से तक शांत बैठे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) संगठन की दिल्ली ईकाई की ओर से एक जनसभा नई दिल्ली स्थित राजेन्द्र भवन मेंआयोजित की गई। सभा में आम नागरिको के मानवाधिकारो पर हो रहे कुठाराघात के खिलाफ बडी संख्या में मौजूद एडवोकेट, समाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर्स, पत्रकार, स्टूडेंट्स, सांस्कृतिक कर्मी, साहित्यकार, कवि लेखक समेत बडी संख्या में मजदूर संगठनों ने गर्मजोशी के साथ शिरकत की। सभा में सभी वक्ताओ ने जिक्र किया कि वर्तमान में लोगो के मानवाधिकार, पर किस तरह से विभिन्न एक्ट और कानून को लादकर जुबान पर ताले जडे जा रहे है। बेकसूर को जेलों में डाला जा रहा है, ऐसे कानूनों के दुरूपयोग पर सरकार के खिलाफ खुलकर अपना विरोध जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूसीएल दिल्ली इकाई के प्रेसीडेंट एनडी पांचौली ने की। इसके अलावा पीयूसीएल दिल्ली ईकाई के जर्नल सेकेट्री टी.एस.आहूजा, सेकेट्री, अशोक भारती, अमित श्रीवास्तव, वर्तिका मैनी त्रिपाठी, कविता श्रीवास्तव भी मंच पर मौजूद थी।

इस अवसर पर पीयूसीएल के महासचिव टी.एस.आहूजा ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का गठन अक्टूबर, 1976 में उस वक्त हुआ था, जब 25-26 जून की आधी रात को आपातकाल दौरान तब की पीएम इन्दिरा गांधी ने आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया था। कोई भी नागरिक अपने अधिकारो के लिए कोर्ट मे न्याय की गुहार तक नहीं लगा सकता था। उस वक्त के तमाम विपक्षी राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों, सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स लीडर्स, एडवोकेट, गांधीवादी, और वह सब भी जो तब की कांग्रेस सरकार की नीतियो की अलोचना कर रहे थे, उन सभी को जेलों में डाल दिया गया था। सूचना के अधिकार को खत्म कर तमाम अखबारो पर सेंसर लगा दिया गया। इस बावत पीयूसीएल जर्नल सेकेट्री टी एस आहूजा ने कहा कि उनको भी तब स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर होने के नाते पुलिस ने डिटेंन कर जेल में डाल दिया था। वह करीब आठ महीने तक बेवजह जेल में डाल दिए गए। उसी आपातकाल की ज्यादतियों और हालात की खिलाफत में ही एक प्लेटफार्म की जरूरत महसूस हुई, जिस प्लेटफार्म पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया गया। 17 अक्टूबर, 1976 को नई दिल्ली स्थित कंस्टीटयूशनल क्लब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण बतौर फाउंडर मेम्बर और वी एम तारकुंडे के निर्दशन में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) का गठन किया गया। इसके बाद इस संगठन के बैनर तले ही कैद किए गए तमाम नागरिक अधिकारों के संघर्ष की गाथा का आगाज किया गया। पीयूसीएल यानि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का गठन जेपी नारायण की निगरानी में पीयूसीएल के पहले कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस वी एम तारकुंडे, और संयोजक कृष्ण कांत संसद सदस्य को बनाया गया। जेपी नारायण गंभीर रूप से अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाए। जेबी कृपलानी के द्वारा अध्यक्षीय भाषण दिया गया। वहीं हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्रा, पूर्व वाईस चांसलर और गुजराती लेखक उमाशंकर जोशी, जर्नालिस्ट बीजी वर्गीस, डॉ.ऊषा मेहता, सर्वोदय लीडर वसंत नरगोलकर समेत अन्य बुध्दिजीवियों द्वारा सभा को संबोधित किया गया था। 13 जुलाई, शनिवार 2024 को पीयूसीएल दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष एनडी पांचौली की अध्यक्षता में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित वक्ताओ ने एक स्वर से वर्तमान सरकार द्वारा अपनाए जा रहे आपातकाल के दौर को दोहराए जाने का आरोप लगाया। सभी ने तीन नए क्रिमिनल लॉ पर अपना विरोध जताया। साथ ही वर्तमान की मोदी सरकार द्वारा अपने विरोधियो को ठिकाने लगाने की कवायद भर है। डॉ. सुनीलम ने इन तीन नए क्रिमिनल लॉ को लाने का मकसद किसान आंदोलन को दबाने के लिए बताया। उन्सोहोने सोशल एक्टिविस्ट मेघा पाटकर की कहानी भी इसी संदर्भ में साजिश का हिस्सा बताया। सोशल एक्टिविस्ट विनोद ने 9 अगस्त भारत छोडो की तर्ज पर पंजाब से बडा आंदोलन खडा करने का आह्वान किया। आंदोलन कारी रविंद्र कुमार ने कहा की पीएम मोदी अभी हाल ही में आसट्रिया टूर पर गए। वहां उन्होने जनरल बातचीत मे आस्ट्रेलिया कई बारा पुकारा। इससे उनकी शिक्षा का पता चलता है। मोदी सरकार नाहक ही ईडी, सीबीआई, का बेजार इस्तेमाल कर रही है। ये संविधान की हत्या है। सांस्कृतिक कर्मी शुभेन्दू ने किसका लहुलुहान है, कौन मरा बतलाओ तो यारो। गाकर सभा मे मौजूद सभी में ऊर्जा का संचार कर दिया। कृष्ण मुरारी जाटव ने शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार को चेताया। उन्होने कहा कि स्कूलों में परिवर्तन लाना हो तो सिर्फ सरकारी स्कूल मे पढने वाले को ही सरकारी नौकरी में वरियता देनी चाहिए। अगर सरकारी स्कूल पडा आईपीएस, आईएएस, या अन्य सरकारी नौकरी में होगा तो स्कूल अपने आप ठीक हो जाएगे। शिक्षा का निजीकरण बंद होना चाहिए। वही सरकारी अस्पताल भी सुधर जाएगे जब क्षेत्र के एमएलए, सांसद को सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अस्पतालों का आयुक्त अपने आप ही हो जाएगा। वहीं वक्ता अनिल कुमार ने कहा कि ब्राह्मण वाद जन्मानुसार और आंबेडकर वाद कर्मानुसार अब नहीं चलेगा। एडवोकेट के एल बुद्ध ने संविधान पर खुल कर अपनी बात रखी। श्याम दत्त तिवारी ने वर्तमान व्यवस्था में 99 प्रतिशत कर्मचारी, अधिकारियों को भ्रष्ट बतलाया। नेताओ का अपना राग-हिस्सा है। इसके अलावा अन्य वक्ताओ में एडवोकेट प्रत्यक्ष उत्पल, एडवोकेट पूनम, प्रगतिशील महिला मोर्चा, अनिल दूबे ने, कामरेड राज व्रत आर्य, ने भी अपने बात रखी। अन्त में सभा की अध्यक्षता कर रहे पीयूसीएल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एनडी पांचौली ने सभा की सफलता पर सभी उपस्थित जन अधिकार वादियों का ह्रदय से धन्यवाद किया। उन्होने कहा लोगों में गुस्सा है। सरकार द्वारा जन अधिकारो पर खुलकर वॉयलेंस किया जा रहा है। सरकार के तीन क्रिमिनल लॉ को लादने पर भी विरोध जताया। सरकारी ऐजेंसियों जिनमें यूएपीए, पीएमएलए, ईडी, सीबीआई, इन्कम टैक्स का खुलकर दुरूपयोग किया जा रहा है। वहीं मणी पुर मामले में भी सरकार को घेरा जाएगा। उन्होने कहा कि ईडी, सीबीआई, यूएपीए, इंकम टैक्स, पीएमएलए, जैसी ऐजेंसियो सरकार की पॉवर का हिस्सा बन गई है। इन एजेंसियों का राजनितिक नेताओ, बुद्धिजीवियों.आंदोलन- कारियों, सोशल एक्टिविस्टो के खिलाफ सरकार दुरूपयोग कर रही है। पीयूसीएल नए सिरे से सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपना संघर्ष तेज करेगी।

बढ़ती मॉब लिंचिंग से मुस्लिम संगठन चिंतित, एक दिवसीय सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटना और बुलडोजर के इस्तेमाल पर आज दिल्ली के राजाराम मोहन राय हाल में एक सेमिनार सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन के नाम से आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन का आयोजन आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, तहरीक कारवां ए इत्तेहाद, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से किया गया। जिस में दिल्ली, एन, सी, आर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया इस अवसर पर वक्ताओं ने बढ़ती मॉब लिंचिंग पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की अपील करते हुए कहा कि बेहतर है कि सरकार मुसलमानों को भी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, में शामिल कर ले ताकि धार्मिक हिंसा पर लगाम लगाना आसान हो सके, साथ ही साथ लगातार मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों पर चल रहे बुल्डोजर पर भी वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस पर संविधान सम्मत और पारदर्शी तरीके से काम करने की अपील की। वक्ताओं ने समाज में सौहार्द, शांति, भाईचारा और प्यार मुहब्बत को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी रणनीति बनाने पर बल दिया और इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करने की अपील की।

● मॉब लिंचिंग एवं ग़ैर क़ानूनी बुल्डोज़र नीति पर लगाम लगाने की मांग

सेमिनार के अध्यक्षता मौलाना के.जेड. बुखारी ने की, संचालन मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने की, वक्ताओं में मुख्य रूप से जिशान हैदर मालिक संयोजक कारवां ए इत्तेहाद, एडवोकेट ताहिर हुसैन, संयोजक नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया, एडवोकेट वसी अहमद, मेंहदी हसन मंसूरी, डॉ ताजुद्दीन अंसारी, डी सी कपिल, संजय गुर्जर, नसीर इदरीसी, सैयद सलिम अख्तर, अकबर नबी, बाबर खान, अनवर सलीम, नाज़िम ईलाह, एड. सतपाल यादव, कर्नल सुधीर, मुफ्ती फुरकान, इत्यादि ने अपनी बात रखी।

मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के पोते जमील आलम थे।

अंत में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हाफ़िज़ गुलाम सरवर ने तीन सूत्रीय प्रस्ताव रखा जिसका सभी लोगों ने अनुमोदन किया।

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में लेटलतीफी जारी, यात्रियों की सहनशीलता की ली जा रही परीक्षा

दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान में लेतलतीफी जारी है। रविवार को 120 उड़ानों में देरी हुई। कई दिनों से ऐसा सिलसिला चल रहा है। एयरपोर्ट पर यात्री सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। एअर इंडिया इंडिगो स्पाइसजेट एअर इंडिया एक्सप्रेस एअर एशिया एलायंस एअर सभी की उड़ानें देर कर रही हैं।

नई दिल्ली। उड़ानों के रद्द होने व प्रस्थान में भारी विलंब के बीच इन दिनों आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपनी सहनशीलता की परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेटलतीफी से आजिज आए यात्रियों को जब लगता है कि उनकी सहनशीलता की सीमा चरम पर पहुंच चुकी है तो इसे काबू में रखने के लिए इंटरनेट मीडिया पर अपनी बात रखकर शांत रहने की कोशिश में जुट जाते हैं। उधर यात्रियों की पीड़ा पर संबंधित एयरलाइंस व आईजीआई एयरपोर्ट संचालन एजेंसी स्थिति पर खेद प्रकट करने लगते हैं।

उड़ान के प्रस्थान में विलंब की संख्या तीन अंकों में

पिछले कई दिनों से जारी लेटलतीफी रविवार को भी कायम रही। करीब 120 उड़ानों में देरी हुई। घरेलू उड़ानों से जुड़ी ऐसा कोई एयरलाइंस नहीं है, जिसकी उड़ानें विलंब के दायरे में नहीं आई हो। एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर एशिया, एलायंस एअर सभी की उड़ानें विलंबित रही।

प्रस्थान में एक घंटे से अधिक के विलंब की स्थिति की बात करें तो इसमें स्पाइसजेट का स्थान पहले नंबर पर है। इंडिगो व एअर इंडिया की भी कई उड़ानें विलंब के दायरे में रही।

यात्री बयां कर रहे पीड़ा

इंटरनेट मीडिया पर रोजाना यात्री अपनी पीड़ा बयां करने में जुटे हैं। शनिवार को दरभंगा जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी 8476 सुबह अचानक रद्द कर दी गई। यात्रियों को उड़ान के रद्द होने की जानकारी मिली तो वे बिफर पड़े। जब स्पाइसजेट कर्मियों ने उन्हें दरभंगा की अगली उड़ान में शामिल करने को कहा तो एयरलाइंस ने जगह नहीं होने की बात कहकर उन्हें इंकार कर दिया।

फरीदाबाद मॉल में शॉर्ट सर्किट से निपटने के कदम: जागरूकता और सावधानी की ज़रूरत

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद, - फरीदाबाद के प्रमुख मॉल में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं फैलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह की आपात स्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत होती है, जिन्हें फरीदाबाद मॉल की घटना ने उजागर किया है।

घटना के दौरान देखा गया कि कई लोग वीडियो बनाने और फोटो खींचने में व्यस्त थे, जो कि सुरक्षित रहने के लिए सही नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

शांत रहें और घबराएं नहीं: ऐसी स्थिति में शांत रहना बेहद महत्वपूर्ण है। घबराने से स्थिति और बिगड़ सकती है।

सुरक्षित निकासी का रास्ता चुनें: निकासी के लिए सबसे नजदीकी सुरक्षित रास्ते की जानकारी रखें और उसका उपयोग करें।

धुएं से बचें: धुएं से बचने के लिए नाक और मुंह को कपड़े या रुमाल से ढकें। जितना हो सके, जमीन के नजदीक रहें, क्योंकि धुआं ऊपर की ओर जाता है।

वीडियो और फोटो न बनाएं: घटना के दौरान वीडियो और फोटो बनाने में समय बर्बाद न करें। इससे आपकी और दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

लिफ्ट का उपयोग न करें: आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।

मॉल के कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें: मॉल के कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। वे ऐसे हालात से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें: घटना की जानकारी तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को दें।

बाहरी क्षेत्र में सुरक्षित रहें: मॉल से बाहर निकलकर किसी खुले और सुरक्षित स्थान पर रहें।

इस घटना से फरीदाबाद के मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सबक लेना चाहिए और मॉक ड्रिल जैसी तैयारियों पर काम करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आपात स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। जागरूकता और सावधानी ही ऐसे हालात में सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा उपाय है।

ओबीसी कोटे के सेकेंड ट्रांच पदों को रोस्टर में शामिल करके ही विज्ञापन निकाले कॉलेज

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक संगठनों का एक मात्र संगठन दिल्ली यूनिवर्सिटी एससी, एसटी ओबीसी टीचर्स फोरम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रोफेसर काले कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए प्रिंसिपल पदों का रोस्टर रजिस्टर तैयार कराकर ही प्रिंसीपल पदों के विज्ञापन निकाले जाएँ। साथ ही जिन कॉलेजों ने ओबीसी कोटे के अंतर्गत सेकेंड ट्रांच के पदों को अभी तक नहीं भरा गया है उनको भी 31 जुलाई 2024 से पूर्व रोस्टर पास कराकर पदों को विज्ञापित कर 31 दिसम्बर 2024 तक भरा जाए।

दिल्ली यूनिवर्सिटी एससी, एसटी ओबीसी टीचर्स फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर के.पी.सिंह ने बताया है कि 12 जुलाई 2024 तक कॉलेजों में 4600 सहायक प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा कुछ कॉलेजों में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया है कि अभी तक जो नियुक्तियाँ हुई हैं वहाँ कॉलेजों द्वारा निकाले गए उनके विज्ञापनों में भारत सरकार की आरक्षण नीति व डीओपीटी के निर्देशों को सही से लागू नहीं किया गया था। उनमें शॉर्टफाल, बैकलॉग और विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई प्रोफ़ेसर काले कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए करेक्ट रोस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी अभ्यर्थियों को जिस अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए था नहीं दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों ने सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान के नियमों की सरेआम अवहेलना की गई है।

प्रोफेसर के.पी.सिंह ने बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों (ईडब्ल्यूएस आरक्षण) का 10 फीसदी आरक्षण फरवरी-2019 में लागू किया गया था, जिसे विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने स्वीकार करते हुए इसको रोस्टर में शामिल भी कर लिया। कॉलेजों ने ईडब्ल्यूएस रोस्टर को फरवरी 2019 से ना बनाकर उसे एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के पहले लागू करते हुए रोस्टर बनाकर नियुक्तियाँ की हैं। इतना ही नहीं उन्होंने 10 फीसदी आरक्षण के स्थान पर किसी-किसी कॉलेज ने 14, 15 या 20 फीसदी तक आरक्षण दे दिया है जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण कम कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाकर दिया गया है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रोफेसर सिंह ने यह भी मांग की है कि ओबीसी कोटे के बकाया सेकेंड ट्रांच के पदों को भरने के निर्देश कॉलेजों को दिए जाएँ। उन्होंने बताया है कि ओबीसी आरक्षण लागू हुए 17 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक बहुत से कॉलेजों ने ओबीसी एक्सपेंशन से सेकेंड ट्रांच की बढ़ी हुई सीटों को रोस्टर में शामिल नहीं किया है।

प्रिंसिपल पदों को क्लब करने के विषय में बताते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्रोफेसर व प्रिंसिपल का पद एक समान है। प्रोफेसर पदों को आरक्षण देकर भरा जा रहा है जबकि प्रिंसिपल पदों का रोस्टर आज तक तैयार नहीं किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल पदों को एक साथ क्लब करते हुए रोस्टर रजिस्टर बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया है दिल्ली सरकार के कॉलेजों में सबसे ज्यादा प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इन कॉलेजों में श्री अरबिंदो कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज (सांध्य), मोतीलाल नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज (सांध्य), सत्यवती कॉलेज, सत्यवती कॉलेज (सांध्य), भगतसिंह कॉलेज (सांध्य), राजधानी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, मैत्रीय कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, आचार्य नरेंद्रदेव कॉलेज, बाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में लम्बे समय से स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं। प्रोफेसर सिंह ने वाइस चांसलर से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द प्रिंसिपल पदों का रोस्टर और शिक्षकों का रोस्टर तैयार करवाएँ। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के निर्देशों का पालन करते हुए एससी/एसटी, ओबीसी का बैकलॉग पूरा करने का कष्ट करें ताकि विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय का उचित प्रक्रिया से पालन हो और आरक्षित वर्गों को सही न्याय मिल सके।

देश व समाज के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा - परमजीत सिंह पम्मा

परिवहन विशेष न्यूज

सुषमा रानी, नई दिल्ली। नेशनल अकाली दल महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन की ओर से कनॉट प्लेस के गोल मार्केट स्थित मुक्तधारा ऑडिटोरियम में नेशनल अकाली दल स्थापना दिवस व नेशनल अकाली दल के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के संघर्ष के 30 वर्ष के समान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें मुख्य अतिथि यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सूजन आनंद, कालरा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सीईओ डॉ. आर.एन. कालरा, शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक पद्मश्री जितेंद्र सिंह शेट्टी, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉ. आदित्य भाटी, डा. आचार्य जीतू सिंह, फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हर्ष असड़ी, बीके राज योगिनी शक्ति बहन

निदेशक, राजौरी गार्डन ब्रह्माकुमारी सेंटर, बॉलीवुड सिंगर मेघा किशोर, मशहूर गायिका सुरेखा रोबिन, मशहूर गायक भागवत किशोर माही लकड़ा, विक्रांत मोहन सहित अनेक हस्तियां उपस्थित थी।

परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में आतंकियों द्वारा जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के शहीद हुए पांच जवानों को श्रद्धांजलि दी गई साथी पम्मा ने सभी को आंतकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई। पम्मा ने कहा बड़े दुख की बात है आंतकवादी फिर से जम्मू कश्मीर व पंजाब में दहशत फैला रहे हैं। यहां तक के पंजाब के युवकों को नशे के साथ-साथ गलत रहा की और धकेल रहा है जिस देश का माहौल खराब कर सके। क्योंकि कुछ शरारती तत्व कनाडा में नौकरियां व नागरिकता दिलाने का लालच देकर ज़बरदस्ती उनको भारत विरोधी गतिविधियों में धकेल रहा है।

परमजीत सिंह पम्मा ने इस अवसर पर ऐलान किया कि उनकी जंग आंतकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। परमजीत सिंह पम्मा ने अपील की है सभी को उन लोगों के किसी भी ऐतिहासिक स्थानों पर कार्यक्रम करने में परहेज करना चाहिए। जो देश के विरोधी गतिविधियों में जुड़े हैं क्योंकि धार्मिक स्थलों पर सभी की भावनाएं जुड़ी होती है।

इस अवसर पर नेशनल अकाली दल ने देश के प्रमुख समाजसेवियों व डॉक्टरों सहित व्यापारियों को एन ए डी देश रत्न अवॉर्ड सम्मानित किया। भावना धवन ने कहा कि नेशनल अकाली दल का कार्य हमेशा समाज या देश के हित में रहे और जो समाज हित में काम करते हैं उनका दल की ओर से समय-समय पर सम्मानित भी किया जाता है।

सावधान! नाबालिग को ना दें अपनी गाड़ी, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल; नए कानून के लागू होने के बाद पुलिस का एक्शन

परिवहन विशेष न्यूज

नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिगों द्वारा सड़कों पर वाहन चलाने पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। नोएडा पुलिस लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है। गाड़ी पकड़े जाने के बाद उसे सीज करने के साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर् कर रही है। कुछ मामले में जेल की हवा भी खिला रही है।

नोएडा। नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर वाहन दौड़ाने के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अलग-अलग स्थानों पर नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे छह वाहनों को सीजकर वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा।

कोतवाली सेक्टर-49 क्षेत्र में यातायात निरीक्षक राम सिंह (Noida Traffic Police) ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि शुक्रवार को वह वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेक्टर-51 गोल चक्कर पर बाइक सवार को जांच के लिए रोका। जांच में बाइक सवार नाबालिग निकला।

स्कूटी को सीज कर, अभिभावक के खिलाफ केस दर्ज

इसके बाद एमवी एक्ट के तहत वाहन को सीज किया गया और वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह केंद्रीय विहार के पास स्कूटी चालक नाबालिक को रोका गया। टैफिक पुलिस ने स्कूटी (Traffic Challan) को सीज कर नाबालिग के अभिभावक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

कोतवाली सेक्टर-24 में यातायात उपनिरीक्षक महिपाल ने ट्रैक्टर दौड़ा रहे नाबालिग को जांच के दौरान रोका। स्वजन को मौके पर बुलाकर नाबालिग को उनके सुपुर्द किया गया और ट्रैक्टर को सीज कर वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में ई-रिक्शा चला रहे नाबालिग को पकड़ा

कोतवाली सेक्टर-20 क्षेत्र में ई-रिक्शा चला रहे नाबालिग को पकड़ा गया। पुलिस ने ई-रिक्शा को सीज कर नाबालिग के पिता बलराम शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली फेज-वन पुलिस ने भी नाबालिग द्वारा चलाए जा रहे ई-रिक्शा को सीज किया है। पुलिस ने नाबालिग चालक के पिता कलाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

बस इस कारण से पांच युवकों ने लाठी-डंडों से कैब चालक को किया लहूलुहान, कार की छत खोल बना रहे थे वीडियो; तभी...

साहिबाबाद शहर के इंदिरापुरम थाना इलाके में सीआईएसएफ के पास कार की छत खोलकर वीडियो बना रहे पांच युवकों ने कैब चालक पर लाठी-डंडों से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

साहिबाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के सीआईएसएफ कट पर सनरूफ खोलकर वीडियो बना रहे कार सवार पांच युवकों ने ओवरटेक कर आगे जाने पर कैब चालक को रोककर लाठी डंडों से पीटा। सिर फोड़ा दिया। कैब में तोड़फोड़ कर चाबी लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

कार सवार युवक सनरूफ खोलकर बना रहे थे वीडियो

विशाल उर्फ नारायन प्रताप ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि किसी ने फोन किया कि बुआ का लड़का अभय चौहान कार से साहिबाबाद से सेक्टर 62 नोएडा जा रहा था। शनिवार मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे सीआईएसएफ कट के पास टाटा नेक्सान कार सवार युवक सनरूफ खोलकर वीडियो बना रहे थे।

लाठी-डंडे से हमला कर फोड़ा सिर

अभय ओवरटेक कर आगे निकला। यह बाद कार सवार युवकों को नागवार गुजरी। उन्होंने ओवरटेक कर उनकी कार रोक ली। लाठी डंडे से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। कार में भी तोड़फोड़ की। आरोपित भागते हुए उनकी कार की चाबी भी ले गए।

पुलिस ने पांच अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

राहगीरों ने इसकी वीडियो बना ली। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई। सूचना पाकर पुलिस (Sahibabad Police) मौके पर पहुंची और अभय को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी ओर से इंदिरापुरम कोतवाली में पांच अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायत दी गई।

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा।

सोसाइटी की बिल्डिंग से गिरकर 10वीं की छात्रा की मौत, देर से घर आने पर मां से हुई थी कहासुनी

गाजियाबाद के गोविंदपुरम की गौर होम्स सोसाइटी की बिल्डिंग से गिरकर 10वीं की छात्रा की मौत हो गई। छात्रा स्वर्ण जयंती पुरम की रहने वाली थी और शास्त्री नगर स्थित उत्तम स्कूल में पढ़ती थी। वह अपनी सहेली से मिलकर घर लौटी थी। देर से आने के कारण उसकी मां के साथ कहासुनी भी हुई थी। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है।

गाजियाबाद। गोविंदपुरम की गौर होम्स सोसाइटी में 15 वर्षीय किशोरी की गिरने से मौत हो गई। छात्रा स्वर्ण जयंती पुरम की रहने वाली थी और शास्त्री नगर स्थित उत्तम स्कूल में पढ़ती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीय अंशिका त्यागी स्वर्ण जयंती पुरम में अपनी मां और नाना-नानी के साथ रहती थी। अंशिका के माता-पिता का कई वर्ष पूर्व तलाक हो चुका है। रविवार को अंशिका अपनी सहेली के यहां गई थी। वहां से आने में देरी होने पर घर में उसकी मां के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद अंशिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया।

देर से घर आने पर मां के साथ हुई थी कहासुनी

शाम करीब साढ़े छह बजे छात्रा अपना मोबाइल लेकर घर से निकली उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। रात करीब साढ़े आठ बजे अंशिका गोविंदपुरम स्थित गौर होम्स सोसाइटी के डी टावर में नीचे आ गिरी, जिससे उसकी मौत हो गयी। अंशिका सोसाइटी में कितने बजे आयी और उसकी मौत कौन सी मंजिल से गिरकर हुई है इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है।

छात्रा 10 मंजिले टावर में कौन से फ्लोर से नीचे गिरी है, इसका पता लगाया जा रहा है। छात्रा का मोबाइल मिल गया है। प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। - अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी कविनगर

1200 करोड़ रुपये की बिल्डिंग हो रही जर्जर, टपक रहा पानी....

नोएडा में करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च कर चाइल्ड पीजीआई की बिल्डिंग बनी। 2015 में बनकर तैयार हुई बिल्डिंग खराब रखरखाव के चलते केवल नौ साल में ही जर्जर हो रही है। करीब तीन साल से बेसमेंट के दूसरे तल में लगातार पानी का सीपेज बना हुआ है। कुछ जगहों पर तो झरना यहां पिलर्स और बीम के सहारे बह रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। बच्चों के सुपरस्पेशलिटी इलाज के लिए सेक्टर-30 में करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च कर चाइल्ड पीजीआई की बिल्डिंग बनी। करीब 650 करोड़ रुपये इसमें से केवल निर्माण लागत पर खर्च हुए। 2015 में बनकर तैयार हुई बिल्डिंग खराब रखरखाव के चलते केवल नौ साल में ही जर्जर हो रही है। इस बिल्डिंग का रखरखाव कौन करेगा? अब यह भी एक बड़ा सवाल हो गया है। बिल्डिंग के रखरखाव के लिए हर साल करीब 40 करोड़ रुपये का बजट यहां चाहिए।

चाइल्ड पीजीआई प्रशासन के मुताबिक इस बिल्डिंग का निर्माण 2008 में शुरू हुआ। नोएडा प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया। वहीं निर्माण करने के लिए राजकीय निर्माण निगम को चुना गया। 2015 में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। 2015 में इसका उद्घाटन होने के बाद यहां मरीजों का इलाज होना शुरू हो गया। बिल्डिंग चिकित्सा शिक्षा विभाग को हैंडओवर होने के बाद से ही इसके रखरखाव के लिए पत्राचार भी शुरू हो गया था।

2021 से बिल्डिंग में खामियां सामने आने लगीं। करीब तीन साल से बेसमेंट के दूसरे तल में लगातार पानी का सीपेज बना हुआ है। कुछ जगहों पर तो झरना यहां पिलर्स और बीम के सहारे बह रहा है। इससे दीवारों के अलावा पिलर्स और बीम भी जर्जर हो रहे हैं। ऐसे में बिल्डिंग का बोझ उठा रही पूरी बुनियाद ही कमजोर हो रही है। कुछ जगहों पर तो बेरीकेड कर रास्ता भी रोक दिया गया है जिससे कोई अनहोनी यहां नहीं हो। वहां अब गाड़ियां भी खड़ी नहीं कराई जाती हैं।

केवल बेसमेंट ही नहीं चाइल्ड पीजीआई की छत का भी बुरा हाल है। यहां लंबे समय से बारिश के समय सीपेज होने लगता है। इससे माइक्रोबायलॉजी, पैथोलॉजी विभाग तक में दीवारें सीलन होने से कमजोर हो गई हैं। पिछले दिनों छत की संस्थान ने वाटरप्रूफिंग कराई। इसके बाद

ही यहां सीपेज काफी हद तक रूका। रखरखाव में लापरवाही का आलम यह है कि संस्थान के मांगने के बाद भी नोएडा प्राधिकरण और राजकीय निर्माण निगम से जरूरी नक्शे तक आधिकारिक रूप से नहीं मिल सके हैं। हॉस्पिटल के अलावा आवासीय सेक्टर में भी यही हाल यहां बना हुआ है।

फाल्स सीलिंग बनी बड़ा खतरा

चाइल्ड पीजीआई में एक तरफ सिविल निर्माण जर्जर हो रहा है। वहीं यहां लगाई गईं फाल्स सीलिंग भी मरीजों, तीमारदारों के अलावा संस्थान के स्टाफ के लिए खतरा बन चुकी है। पिछले दिनों निदेशक कार्यालय में ही फाल्स सीलिंग गिर गई। इसके अलावा मरीजों के तीमारदारों के लिए बने कमरे में भी पानी के लीकेज से फाल्स सीलिंग खराब हो चुकी है। ऐसे में करीब 30 फीसदी हिस्से में फाल्स सीलिंग गिर चुकी हैं। यहां रूके तीमारदारों को टपकते हुए पानी के बीच ही खुद के मरीजों के इलाज का इंतजार करना होता है।

पूर्व मुख्य सचिव के सामने उठा मुद्दा

चाइल्ड पीजीआई के रखरखाव का मुद्दा पूर्व मुख्य सचिव डीएस मिश्रा के सामने उठ चुका है। इससे पहले पूर्व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने भी जर्जर हो रही बिल्डिंग को देखा था। निदेशक प्रो. अरूण कुमार सिंह का कहना है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिल्डिंग का रखरखाव ठीक हो जाए। कुछ दिक्कतों को दूर भी कराया गया है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण, राजकीय निर्माण निगम से भी संपर्क किया गया है। शासन से भी बजट की मांग रखरखाव के लिए की गई है। पांचवे तल पर मौजूद माइक्रोबायलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विभागों को जिला अस्पताल की परिसर के अंदर मौजूद पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करा रहे हैं। इसका काम शुरू हो गया है।

रूस और ऑस्ट्रिया की यात्राओं से भारत की नई उड़ान

ललित गर्ग

भारत की रूस से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रिया या अन्य नए देशों से दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि अपने पुराने साथियों से दूर हो जाएं। इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के निष्कर्षों के साथ-साथ इसके वैश्विक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। इन दोनों देशों की राजकीय यात्रा अनेक दृष्टियों से नई उम्मीदों को पंख लगाने के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने वाली होगी। दोनों देशों की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौते भारत की तकनीकी एवं सामरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम कदम साबित होंगे। सैन्य उत्पाद, व्यापार व उद्योग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग ने नई उम्मीदें जगाई हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए वे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता के प्रयास, नये भारत-सशक्त भारत एवं सतत विकास की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इन दोनों देशों में जो सम्मानभावना देखने को मिली, उससे यही कहा जा सकता है कि मोदी विश्व-नेता के रूप में स्वतंत्र पहचान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत के लिये शुभ है।

निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति में अपनी चमक के साथ आगे बढ़ते भारत के लिये रूस की यात्रा कई मायनों में बहुत उपयोगी एवं दूरगामी रही। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हुई 22वीं द्विपक्षीय बैठक में हुए नए समझौते काफी अहम हैं। रूस के युद्ध में फंसे होने के कारण रक्षा जरूरतों से संबंधित आपूर्ति में बाधा होना हमारे लिए चिंता की बात थी लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का प्लांट लगाने पर सहमति जताकर पुतिन ने बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2030 तक 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने पर भी सहमति बनी है। यह भारत-रूस के विशेष रिश्ते को और मजबूत करने वाले होंगे। भारत-रूस की दोस्ती की गर्माहट से चीन एवं पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिली है। यूक्रेन और गाजा में युद्धों की पृष्ठभूमि के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर दुनिया की नजरे लगी रही। एक ध्रुवरीय विश्व व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमरीका और बहुध्रुवरीय विश्व व्यवस्था में अपना हित देख रहे रूस के बीच भारत की स्थिति एवं उसकी बढ़ती ताकत का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने पर यूक्रेन की नाराजगी के बावजूद अमरीका की सधी प्रतिक्रिया सामने आयी कि इससे उसके भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही इससे यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब एक या दो ध्रुवरीय नहीं रही। अमेरीका यह जान रहा है कि चीन के तानाशाही भरे रवैये से निपटने के लिए भारत का साथ आवश्यक है। वास्तव में इस आवश्यकता ने भी अमेरीका में भारत की अहमियत बढ़ाने का काम किया है। यह अहमियत यही बता रही है कि अब भारत का समय आ गया है। वास्तव में आज अमेरीका ही नहीं, विश्व का हर प्रमुख देश भारत को अपने साथ रखना आवश्यक समझ रहा है। कहना न होगा कि वैश्विक मंच पर योग का विषय हो, या अहिंसा का या फिर आतंकवाद से निपटने का, जलवायु परिवर्तन का मसला हो या फिर जी-20 देशों की अध्यक्षता की बात, भारत, दुनिया को नई दिशा दे रहा है, नई उम्मीदें जगा रहा है।

एक नई ताकत एवं सशक्त अर्थ-व्यवस्था के साथ एक नया ध्रुव बनकर उभर रहा भारत समूची दुनिया की नजरों का ताज बना हुआ है। भारत अब बिना किसी दबाव के किसी भी अन्य ताकतवर देश की नाराजगी मोल लेने का हौसला रखता है। शीतयुद्ध के दौर में दो ध्रुवरीय विश्व व्यवस्था के बाद एक धुवीय व्यवस्था का अनुभव दुनिया को मिल चुका है। अब बहुध्रुवरीय विश्व व्यवस्था में ही संभावनाएं देखी जा रही हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बन भारत वैश्विक भूमिका को खुलकर प्रदर्शित भी कर रहा है। वैसे भी भारत एक बड़े देश के पाले में कभी नहीं रहा। अनेक संकटों से घिरा होकर भी भारत अपनी बात बुलन्दी के साथ दुनिया के सामने रखता रहा है, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के तीनों कार्यकाल में भारत ने अपने शक्तिशाली होने का भान कराया है।

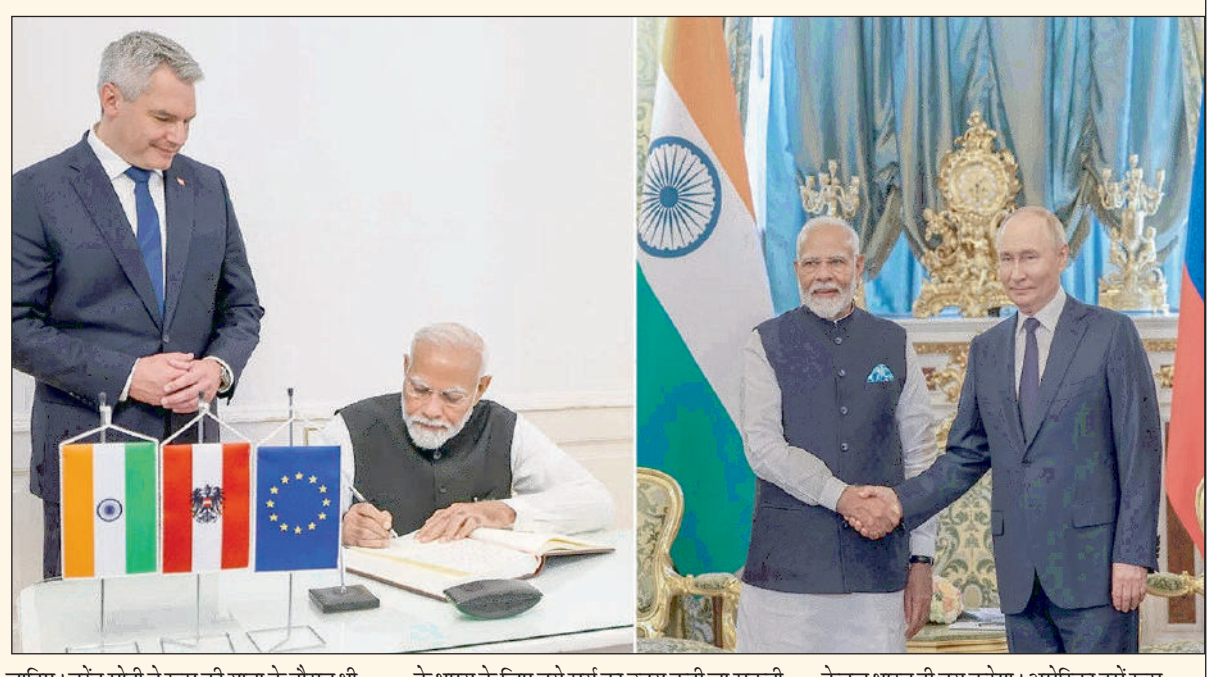

भारत की रूस से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रिया या अन्य नए देशों से दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि अपने पुराने साथियों से दूर हो जाएं। इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह देखा जा सकता है। इजरायल से नई दोस्ती के बावजूद फिलिस्तीन पर हमारी रणनीति नहीं बदली है। उसी तरह रूस से अच्छे संबंध का यह मतलब नहीं कि यूक्रेन के मामले में उसे क्लीन चिट दे दें। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को मोदी ने शांति का पाठ पढ़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। भारत की इस भूमिका के बीच अब अमरीका भी यह कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि भारत को यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। फिलहाल शांति के पक्षधर अन्य देश भारत के साथ मिलकर रास्ता खोजने की पहल कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौता वार्ता का मंच बनने की इच्छा जाहिर करना यही बताता है।

भारत अहिंसा एवं शांति का हिमायती का देश है और मानता है कि युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध केवल बर्बादी और तबाही लेकर ही आता है। रूस व यूक्रेन के बीच जो सीमा विवाद है वह इन देशों के बीच का मामला है और भारत शुरू से ही कहता रहा है कि इस समस्या का हल केवल बातचीत से ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान भी भारत का यही रुख सामने रखा और स्पष्ट किया कि किसी भी झगड़े को निपटाने का रास्ता केवल वार्तालाप ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने रूस से आस्ट्रिया पहुंच कर भी इस रुख को और खोला और कहा कि भोले-भाले लोगों की हत्या कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध के सन्दर्भ में इस तथ्य को अमेरिका को ही सबसे पहले समझना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से क्या चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं पर असर पडेग़ा? क्योंकि रूस एवं चीन के बीच बढ़ती मित्रता एवं प्रगाढ़ता समूची दुनिया के लिये एक चिन्ता का सबब है। भले ही अमरीका की ताकत को देखते हुए रूस ने चीन से निकटता बनाई हो, लेकिन भारत से उसकी दोस्ती इन सबसे ऊपर है। फिर भी चीन एवं पाकिस्तान भारत के दुश्मन ही रहे हैं। इन हालातों के बीच मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा भारत के भाग्य के लिए नये सूर्य का उदय कही जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी महत्वपूर्ण यात्रा रूस की रही, उतनी ही महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया की यात्रा भी रही। मोदी ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी निशाने पर लेते हुए पुतिन से कहा कि चीन जहां पाकिस्तान के आतंकवाद को सहयोग-समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अब मोदी की इन बातों का पुतिन पर क्या असर होगा, यह भविष्य के गर्भ में है।

जहां तक रूस से मित्रता का सवाल है तो यह भारत का परखा हुआ सच्चा मित्र है और भारत यह दोस्ती कभी नहीं छोड़ सकता। पिछले दो दशकों में हमारे सम्बन्ध अमेरिका से भी मधुर हुए हैं परन्तु हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतन्त्र है और दुनिया का कोई भी देश इसे प्रभावित नहीं कर सकता। भारत के द्विपक्षीय सम्बन्ध किस देश के साथ कैसे हैं यह केवल भारत ही तय करेगा। अमेरिका हमें रूस-यूक्रेन के बारे में क्या समझायेगा? भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इस बात का परिचायक है कि भारत विश्व की एक महाबड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और भारत शांति एवं अयुद्ध का हिमायती है। हम तो पहले ही यह कह चुके हैं कि भारत बुद्ध-महावीर-गांधी का देश है और इसकी विदेश नीति भी इनसे प्रेरणा लेकर ही तय होती रही है। बदलते वैश्विक सन्दर्भों के बावजूद भारत आपसी शान्ति, अहिंसा, युद्धमुक्त विश्व-संरचना व सह अस्तित्व पर ही विश्वास रखता है। दुनिया की महाशक्तियों द्वारा भारत को तवज्जो देने के पीछे जिन वजहों को देखा जा रहा है, उनमें व्यापारिक प्रगति के साथ शांति एवं अमन-चैन की दुनिया बनाना भी मुख्य है। निश्चित ही मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा भारत के लिये 'सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना' एवं 'परिवर्तनकारी क्षण' साबित होगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए तीन महीने में 1136 चलाए जाएंगे अतिरिक्त ई-ऑटो

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) जल्द ही 1136 ई-ऑटो को सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहा है। ये ई-ऑटो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर चलेंगे, ताकि यात्री मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। डीएमआरसी का दावा है कि करीब तीन महीने में ये ई-ऑटो सड़क पर आ जाएंगे। इससे मेट्रो स्टेशनों से गंतव्य तक परिवहन सुविधा बेहतर होगी।

दिल्ली समेत एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क करीब 392 किलोमीटर लंबा है। इससे मेट्रो से यात्रा करने में सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों पर उतरने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए परिवहन विभाग ने डीएमआरसी को 2299 ई-ऑटो चलाने की अनुमति दी है। इनमें से 1163 ई-ऑटो अभी विभिन्न स्टेशनों से चल रहे हैं। इसमें से 306 ई-ऑटो चलाने की अनुमति महिला ऑटो चालकों को दी गई है।

डीएमआरसी का कहना है कि शेष 1136 ई-ऑटो का परिचालन भी जल्दी शुरू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इन ई-ऑटो का परिचालन शुरू होने पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा काफी हद तक ठीक हो जाएगी।

डीएमआरसी के इस दावे के बीच सबसे बड़ी चुनौती मेट्रो स्टेशनों से ई-ऑटो की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस संबंध में डीएमआरसी का कहना है कि ई-ऑटो की जीपीएस फेंसिंग की जाएगी। इसके जरिए दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विस लिमिटेड कंपनी उन पर नजर रखेगी और नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगी कि ई-ऑटो कितनी बार तय सीमा के अलावा दूसरी जगहों पर गए, ताकि मेट्रो यात्रियों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के तहत हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु 21 कंपनियां पंजीकृत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन विभाग ने बीते 13 जुलाई, दिन शनिवार को घोषणा की कि 21 कैब एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवाओं और ई-कॉमर्स फर्मों के एक लाख से अधिक वाहन दिल्ली सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना में शामिल हो गए हैं। इस योजना के तहत 25 से अधिक वाहनों वाली कंपनियों को लाइसेंस के लिए पंजीकरण कराना होगा और बेड़े के विद्युतीकरण के लिए समयसीमा भी बताई गई है।

आप सरकार ने नवंबर 2023 में दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को विनियमित और लाइसेंस देना है। यह उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास बसों को छोड़कर 25 या उससे ज़्यादा मोटर वाहनों का बेड़ा है, जो उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

इस योजना में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के बेड़े को विद्युतीकृत करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दोपहिया यात्री वाहनों के लिए, लक्ष्य छह महीने का है। तिपहिया यात्री वाहनों को छह महीने में 10% विद्युतीकरण, एक साल में 25%, दो साल में 50%, तीन साल में 75% और चार साल में पूर्ण विद्युतीकरण हासिल करना होगा। चार पहिया यात्री वाहनों के लिए छह महीने में 5%, एक साल में 15%, दो साल में 25%, तीन साल में 50%, चार साल में 75% और पांच साल में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

मालवाहक वाहनों के लिए भी लक्ष्य समान हैं। दोपहिया और तिपहिया मालवाहक वाहनों को छह महीने में 10%, एक साल में 25%, दो साल में 50%, तीन साल में 75% और चार साल में पूर्ण विद्युतीकरण तक पहुंचना होगा। चार पहिया मालवाहक वाहनों के लिए छह महीने में 5%, एक साल में 15%, दो साल में 25%, तीन साल में 50%, चार साल में 75% और पांच साल में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य है। गैर-अनुपालन के लिए दंड योजना के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन करने वाली कैब एग्रीगेटर्स को हर मामले में 5,000 रुपये से लेकर 100,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। शामिल की गई संस्थाओं में स्मार्टशिफ्ट लॉजिस्टिक्स, एएनआई टेक्नोलॉजीज (ओला की मूल कंपनी), उबर इंडिया, ज़ोमैटो लिमिटेड, ब्लिंक कॉमर्स, स्विगी लिमिटेड, मोविंग अर्बन टेक्नोलॉजीज और रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ शामिल हैं।

इन कंपनियों के बेड़े में इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। स्मार्टशिफ्ट लॉजिस्टिक्स के पास सबसे बड़ा बेड़ा है जिसमें 50,000 से ज़्यादा वाहन हैं। एएनआई टेक्नोलॉजीज़ के पास 36,000 से ज़्यादा वाहन हैं। ज़ोमैटो के पास 22,000 से ज़्यादा वाहन हैं जबकि ब्लिंक कॉमर्स के पास 10,000 से ज़्यादा वाहन हैं। लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मौजूदा या नए ऑपरेटरों को योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ये लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होते हैं और इन पर वार्षिक शुल्क लागू होता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अतिरिक्त, दो साल से कम पुराने वाहनों के लिए 50% की छूट प्रदान की जाती है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "योजना को मिली प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि व्यवसायों को टिकाऊ और कुशल शहरी गतिशीलता के लिए हमारे दृष्टिकोण पर कितना भरोसा है।₹ उन्होंने कहा, ₹यह पहल न केवल हरित गतिशीलता को बढ़ावा देगी, बल्कि परिवहन क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उच्च मानक भी स्थापित करेगी।"

इस योजना का उद्देश्य कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए व्यापक विनियमन और लाइसेंसिंग बनाना है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो अपनी सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए ऐप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल मध्यस्थों का उपयोग करते हैं। दिल्ली सरकार की यह पहल टिकाऊ शहरी गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवसायों को सेवा की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करते हुए हरित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मर्सिडीज-बेंज भारत में और अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को असेंबल करने की बना रही योजना

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जर्मन लक्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज ने देश में अपने संयंत्रों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को असेंबल करने की योजना बनाई है, ताकि न केवल लागत लाभ प्राप्त किया जा सके, बल्कि शून्य-उत्सर्जन परिवहन और कार्बन तटस्थता लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके। यह जानकारी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। मर्सिडीज-बेंज भारत वर्तमान में अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान ईक्यूएस EQS को अपने चाकन प्लांट में असेंबल करती है। कंपनी मांग के आधार पर अन्य मॉडलों के स्थानीयकरण पर भी विचार कर रही है। मर्सिडीज-बेंज भारत के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर ने कहा, ₹हमारा अंतिम लक्ष्य शून्य-उत्सर्जन परिवहन और कार्बन तटस्थता है। इसका मतलब न केवल ईंधन उत्सर्जन को कम करना है, बल्कि कारों का पुनर्चक्रण भी है। हम कारों के उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, ''हमें इसे समग्र रूप से देखना होगा। इसलिए ईवी का उत्पादन तार्किक कदम है और हम बाजार की मांग में बदलाव के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।''

संतोष अय्यर से भारत में स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को असेंबल करने की दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में पूछा गया। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अक्टूबर 2022 से अपने चाकन प्लांट में ईक्यूएस को असेंबल करना शुरू कर दिया है। यह भारत में बिकने वाले चार ईवी मॉडल - एसयूवी ईक्यूए, ईक्यूबी और ईक्यूई और सेडान ईक्यूएस में से एकमात्र स्थानीय रूप से असेंबल किया गया मॉडल है।

वाहनों को स्थानीय स्तर पर असेंबल करने के लाभ को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि स्थानीयकरण हमें कुछ लागत लाभ लाने में मदद करता है। लागत लाभ के अलावा इससे हमें ईवी के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है। आज हम उसी लाइन पर ईवी का उत्पादन कर रहे हैं, जहां परंपरागत ईंधन वाले वाहनों का उत्पादन होता है।

देश के सुरक्षित भविष्य और आर्थिक मजबूती के लिए अपनाएं इलेक्ट्रिक वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ई-वाहन जागरूकता रैली को मुख्य अतिथि के रूप में हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए ई-वाहन जरूरी हैं। देश की आर्थिक मजबूती के लिए हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की ओर तेजी से बढ़ना होगा।

जिला प्रशासन के तत्वावधान में आर्गो ईवी स्मार्ट धीमान के विशेष सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिनांक 13 जुलाई, दिन शनिवार को एचएसवीपी के कन्वेंशन हॉल में प्रदर्शनी सह रोड शो का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि किया। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचने के लिए विश्व भर में विभिन्न प्रकार की पहल की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए भारत ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके। विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पावर व उद्योग क्षेत्र ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। पावर क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी पैदा करने की दिशा में हमने विशेष उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले समय में देश को जीरो कार्बन तक लेकर जायेंगे।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यावरण सुधरेगा तो विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। सरकार ने विभिन्न स्कीम चलाकर इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया व चार पहिया वाहनों को बढ़ावा दिया है। नवीनतम तकनीकों को अपनाया जा रहा है। नई तकनीक से आने वाले समय में बैटरी की कीमत कम होगी तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें और कम हो जाएगी। ई-वाहनों को तेजी से अपनाना है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है जिसमें लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जगह-जगह आवश्यकतानुसार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन फरीदाबाद-क्लीन फरीदाबाद के साथ भारत को हरा-भरा व स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना होगा।

विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता व परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग की ओर तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ध्यान देने की जरूरत है कि इससे प्रदूषण न फैले। आने वाली पीढ़ी को अच्छा व सुरक्षित वातावरण देने के लिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रीन-क्लीन पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जरूरत है कि हम पेट्रोल-डीजल के विकल्प अपनाएं। इसके लिए सरकार ने बेहतरीन योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा-हरेडा तथा आर्गो ईवी स्मार्ट धीमान द्वारा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रोड शो में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया।

हैदराबाद की एनजीओ "मोवो सोशल इनिशिएटिव्स" महिलाओं को किस तरह ड्राइविंग सीखने के लिए कर रही हैं प्रोत्साहित

परिवहन विशेष न्यूज

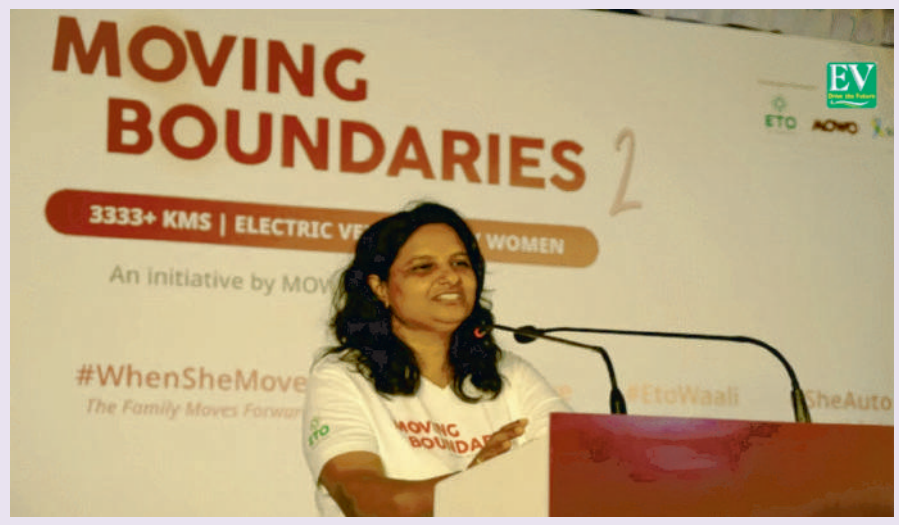

हैदराबाद। सड़क पर महिला ऑटो चालकों को देखकर यह भरोसा होता है कि वाहनों को लेकर लैंगिक बाध्यताएं आखिरकार खत्म हो रही हैं। हो सकता है कि यह अभी पूरे भारत में न हो, लेकिन महिला ऑटो चालकों ने अपनी जगह बना ली है। भारत की पहली महिला ऑटोरिक्शा चालक शिला दावरे से लेकर अब कई सलवार कमीज पहने ऑटो चालकों तक, महिलाएं आकांक्षाओं और वित्तीय कारणों से इस पुरुष-प्रधान सार्वजनिक परिवहन को चला रही हैं। रूढ़िवादिता को तोड़ने के अलावा, दिल्ली की पहली महिला ऑटोरिक्शा चालक सुनीता चौधरी जैसी कई महिलाएं स्थिरता के लिए सवारी करती हैं। हालांकि, सुरक्षा और लैंगिक वर्जना जैसी चुनौतियां निम्न-आय वाले परिवारों की महिलाओं के कमाने वाले बनने की संभावनाओं को पंगु बना रही हैं। रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं को पूर्व-निर्धारित भूमिकाओं में बांध देती हैं, जिससे वे अपनी आजीविका कमाने से वंचित हो जाती हैं

इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हैदराबाद स्थित मोवो सोशल इनिशिएटिव्स सक्रिय रूप से संधारणीय गतिशीलता और महिला ऑटो चालकों की वकालत कर रहा है। मार्च में एनजीओ ने अपने प्रमुख कार्यक्रम ₹मूविंग बाउंड्रीज़₹ के दूसरे सत्र का समापन किया। 3,333+ किलोमीटर का यह परिवर्तनकारी राष्ट्रीय अभियान कन्याकुमारी से कश्मीर तक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके चलाया गया ताकि महिलाओं को आजीविका के रूप में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मोवो की संस्थापक जय भारती, जो खुद भी एक शौकीन मोटरसाइकिल चालक हैं, के नेतृत्व में आठ सदस्यों वाली महिला काफिले ने पांच राज्यों में 500 महिलाओं की पहचान की और उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्हें इस फलते-फूलते मोबिलिटी सेक्टर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी बिक्री

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत में भी इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू हो गई है। कमर्शियल ईवी को लोन देने के लिए शुरू किया गया बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप विद्युत अब इस्तेमाल किए गए कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचने और उधार देने के कारोबार में उतर रहा है। कंपनी इस्तेमाल किए गए पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनों और दोपहिया वाहनों को भी अपनी पेशकश का विस्तार करने की योजना बना रही है।

विद्युत को नवंबर 2021 में कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों को उधार देने के प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका एक अनूठा मॉडल है, जहां ग्राहक प्रति किलोमीटर भुगतान पर बैटरी प्राप्त करते हुए ईवी खरीद सकता है। इससे तीन वाट के इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत 60 से 65 प्रतिशत कम हो जाती है और यह वाहन पहले दिन से ही पेट्रोल-डीजल वाहनों से सस्ता हो जाता है।

विद्युत के सह-संस्थापक क्षितिज कोठी ने कहा कि इस्तेमाल किए गए ईवी बेचने और लोन विकल्प देने की इस नई पहल के साथ कंपनी कीमत संबंधी चिंताओं को दूर करके ईवी खरीद को आसान बनाने की कोशिश कर रही है।

विद्युत महिंद्रा, पियाजियो, यूलर मोटर्स, ग्रीव्स, मुरुगप्पा ग्रुप की मोंट्रा इलेक्ट्रिक और अल्टीग्रीन की तिपहिया कंपनियां वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर से बेचने पर काम कर रही हैं।

विद्युत की नई सेवाएँ दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद में उपलब्ध हैं और कंपनी की योजना मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, आगरा और कानपुर में विस्तार करने की है।

भारतीय स्टार्टअप ने KM3000 और KM4000 ईवी किए लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

गोवा स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने दूसरी पीढ़ी की KM3000 और KM4000 मार्क-II इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है। KM3000 और KM4000 मॉडल अलग-अलग डिज़ाइन पेश करते हैं। हालाँकि, दोनों मॉडलों में एक ही डायमंड स्टील ट्यूब फ्रेम है।

इस मॉडल में एल्युमीनियम कोर हब मोटर पावरट्रेन है। कंपनी के अनुसार, यह तकनीक बाइक को 120 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त करने और केवल 2.9 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की गति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

KM3000 और KM4000 मार्क-II मॉडल की मुख्य विशेषताओं में 201 किलोमीटर की रेंज, 1.5kW ऑन-बोर्ड चार्जर शामिल हैं। फॉक्सकॉन द्वारा विकसित 12kW इन-हब पावरट्रेन द्वारा संचालित, बाइक 192Nm का दावा किया गया अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है। सुरक्षा सुविधाओं में डुअल CBS और बड़े डिस्क ब्रेक, शोवा द्वारा फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे एक मोनोशॉक यूनिट शामिल हैं।

कंपनी अपने दोनों मॉडलों की बिक्री बढ़ाने के लिए उत्तर भारत में डीलरशिप चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जल्द ही ये दोनों मॉडल उत्तर भारत की सड़कों पर नजर आएंगे

इन सवालों के जवाब कौन देगा?

-पी. चिदम्बरम

विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में (अच्छे कारणों से) बहिष्कार की गई बहस के बाद, भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदलने (और फिर से लागू करने) के लिए 3 विधेयक पारित किए गए।

विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में (अच्छे कारणों से) बहिष्कार की गई बहस के बाद, भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदलने (और फिर से लागू करने) के लिए 3 विधेयक पारित किए गए। नए विधेयकों के नाम हिंदी (या संस्कृत) में थे, यहां तक कि विधेयकों के अंग्रेजी संस्करणों में भी। राष्ट्रपति ने विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे दी और नए कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हो चुके हैं। कई क्षेत्रों से नए कानूनों का कड़ा विरोध हो रहा है। सरकार ने विरोध के आधारों को अप्रासंगिक और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। सरकार के अडियल रवैये ने कानूनों के विरोध को नहीं रोका है। इसके विपरीत, 2 राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे संबंधित राज्य विधानसभाओं में कुछ संशोधन लाएंगी।

तमिलनाडु ने एक महीने के भीतर बदलावों का सुझाव देने के लिए एक-व्यक्ति समिति नियुक्त की है। कर्नाटक और अन्य राज्य सरकारें भी यही रास्ता अपना सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तथ्यों और मुद्दों को जनता के सामने रखा जाए और नागरिकों से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा जाए। 'आपराधिक कानून' संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। निःसंदेह, यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 254 लागू होगा। हालांकि, यह एक ऐसा मुद्दा है जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाने, उसके प्रतिकूल होने और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को अपनी मंजूरी न दिए जाने के बाद उठेगा। इस बीच, नए कानूनों का विरोध करने वालों द्वारा उठाए गए सवालों को सुना जाना चाहिए और उनका जवाब दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, केंद्र सरकार ने संसद में या बाहर जवाब देने से इंकार कर दिया है।

ये हैं सवाल

1. क्या यह सही है कि 3 नए कानूनों के अधिकांश प्रावधान प्रतिस्थापित किए गए 3 कानूनों से 'कॉपी और पेस्ट' किए गए हैं? क्या यह सही है कि नए कानूनों में आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. की 90-95 प्रतिशत धाराएं और साक्ष्य अधिनियम की 95-99 प्रतिशत धाराएं बरकरार रखी गई हैं और हर धारा को फिर से क्रमांकित किया गया है? यदि मौजूदा कानूनों में कुछ जोडने, हटाने और बदलाव करने की आवश्यकता थी, तो क्या संशोधनों के माध्यम से वही परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते थे? क्या यह दावा खोखला नहीं है कि सरकार ने 'औपनिवेशिक विरासत' को खत्म कर दिया है?

2. यदि इरादा आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन और बदलाव का था, तो विधि आयोग को संदर्भ देने की पुरानी प्रथा का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या विधि आयोग सभी हितधारकों से परामर्श करने और मसौदा विधेयकों के साथ अपनी सिफारिशें सरकार और संसद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त निकाय नहीं था? विधि आयोग को क्यों दर-किनार किया गया और कार्य एक समिति को क्यों सौंपा गया, जिसमें अंशकालिक सदस्य शामिल थे, जो एक को छोड़कर, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक प्रोफैसर के रूप में कार्यरत थे?

3. क्या नए कानून आपराधिक न्यायशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं? क्या नए कानूनों में पिछले 10 वर्षों में दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रगतिशील सिद्धांतों को मान्यता दी गई है और उन्हें शामिल किया गया है? क्या नए कानूनों के कई प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए भारतीय संविधान के विपरीत हैं?

4. नए कानून में 'मृत्यु दंड' क्यों बरकरार रखा गया है, जिसे कई लोकतांत्रिक देशों में समाप्त कर दिया गया है? 'एकांत कारावास' जैसी क्रूर और अमानवीय सजा क्यों शुरू की गई है? 'व्यभिचार' के अपराध को आपराधिक कानून में वापस क्यों लाया गया है? क्या 'मानहानि' को आपराधिक अपराध के रूप में बनाए रखना आवश्यक था? क्या 'मानहानि' की आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक नहीं था? दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना समलैंगिक संबंध अब अपराध क्यों नहीं है? क्या 'सामुदायिक सेवा' की सजा को परिभाषित करना या कम से कम सामुदायिक सेवा के उदाहरण देना आवश्यक नहीं था?

5. 'राजद्रोह' के अपराध को क्यों बढ़ाया गया और बरकरार रखा गया? 'आतंकवाद' के अपराध को सामान्य आपराधिक कानून में क्यों लाया गया है, जबकि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम नामक एक विशेष अधिनियम मौजूद है? नए कानून में 'चुनावी अपराध' क्यों शामिल किए गए हैं, जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे विशेष कानून पहले से ही मौजूद हैं?

6. क्या नए कानूनों ने पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उस व्यक्ति की पुलिस हिरासत की मांग करने के लिए अधिक छूट दी है? क्या नए कानूनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कथन की अनदेखी की है कि गिरफ्तार करने की शक्ति का मतलब गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है? क्या कानून में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करना आवश्यक नहीं था कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'? क्या गिरफ्तारी की वैधता और गिरफ्तारी की आवश्यकता की जांच करने के लिए मैजिस्ट्रेट को बाध्य करना आवश्यक नहीं था? क्या जमानत के प्रावधानों के अनुसार मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के बाद 40/60 दिनों तक जमानत देने से इंकार करना चाहिए?

7. क्या वह प्रावधान संवैधानिक है जिसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में, अपराध के स्थान की परवाह किए बिना, एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है? क्या वह प्रावधान जो उस राज्य की पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करने और अपराध की जांच करने का अधिकार देता है, असंवैधानिक है, क्योंकि 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है? क्या उक्त प्रावधान 'संघवाद' के सिद्धांत के विपरीत हैं, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है? और भी कई सवाल हैं। सवाल पूछने और जवाब पाने का मंच कौन-सा है? सरकार में किसी ने भी अब तक सवालों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे। फिर भी देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए सबसे बुनियादी कानून 'लागू हो गए हैं' कुछ लोगों द्वारा और कुछ लोगों के लिए सरकार का एक उदाहरण है।

-पी. चिदम्बरम

संपादक की कलम से

आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का कहर जारी है। 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ जिले में घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। उग्रवादियों ने ऐसी जगह पर हमला किया था जिसके एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ खड़ी ढलान है। हमलावर पहाड़ी की ओर से आए थे उनके वाहन को उग्रवादियों की गोलीबारी का खामियाजा भुगतना पड़ा। राज्य खासकर जम्मू में 48 घंटों के भीतर यह चौथी आतंकी घटना थी और हाल के हमलों की श्रृंखला का हिस्सा थी। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में बढ़ते आतंकवाद का एक नया चलन है।

कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत अगस्त 1955 में स्थापित जनमत संग्रह मोर्चे से हुई। इस मोर्चे ने युवाओं के बीच काम किया और उनकी निराशा को भारत के खिलाफ कर दिया। जल्द ही इसने अपना भाग्य भारत विरोधी कट्टरपंथियों से जोड़ लिया। उग्रवादियों की धमकियां महिलाओं को पर्दा करने और उन्हें सिनेमा हॉल में जाने से रोकने के आह्वान के साथ शुरू हुईं। हिंदू महिलाओं से टीका न लगाने का आग्रह किया गया। (माथे पर बिंदी हिंदू महिलाओं की पहचान है)। संयोग से, कश्मीर में ग्रामीण मुस्लिम महिलाएं मुश्किल से ही पर्दा पहनती थीं और यहां तक कि शहरी कस्बों में भी यह प्रथा लगभग बंद हो चुकी थी। इन संहिताओं पर उग्रवादियों के बीच अभी भी एकमत नहीं है। पाकिस्तान लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका उग्रवाद से कोई लेना-देना नहीं है और उसने उग्रवादियों को कोई सहायता नहीं दी है। यह सच नहीं है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण और उन्हें हथियार दे रहा है।

इस्लामाबाद कश्मीर के आतंकवादियों के लिए 30 से अधिक प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। यह कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान 1947 से, खासकर 1972 के बाद से युवाओं में भारत के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज, कथित तौर पर घाटी में 100 से अधिक आतंकवादी संगठन हैं। कश्मीर के भविष्य पर वे बंटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जे.के.एल.एफ.) लंबे समय से कश्मीर की आजादी की मांग कर रहा था। कई लोग पाकिस्तान में विलय के पक्ष में हैं और उन्हें न केवल आई.एस.आई. स्रोतों के माध्यम से बल्कि इस्लामिक देशों, विशेषकर खाड़ी में कट्टरपंथी ताकतों से भी धन मिल रहा था।

इसराईली-अमरीकी राजनीतिक वैज्ञानिक योसेफ बोडांस्की, जिन्होंने 1988 से 2004 तक अमरीकी प्रतिनिधि सभा के आतंकवाद और अपरंपरागत युद्ध पर कांग्रेस टास्क फोर्स के निदेशक के रूप में कार्य किया, का मानना था कि उग्रवादी और इस्लामी ताकतें विश्व शांति के लिए प्रमुख खतरा हैं। उन्होंने भारत को चेतावनी दी थी कि यदि किसी कारण से उसने कश्मीर छोडने का फैसला किया, तो उस राज्य पर इस्लामवादियों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। उनका यह भी विचार है कि कश्मीरी कभी भी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें हमेशा कट्टरपंथियों के आदेशों का पालन करना होगा। बोडांस्की ने यह भी कहा कि कश्मीर के खोने से भारत की सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल परिणाम होंगे।

आतंकवादी वस्तुतः अदृश्य हैं। इन्हें सिर्फ पुलिस ही देख सकती है, सेना नहीं। इसीलिए आतंकवाद विरोधी उपायों में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र को इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। बेशक, घाटी में पुलिस को पुनर्जीवित करना एक कठिन काम है। फिर भी, पूरे पुलिस तंत्र को नए सिरे से तैयार करना होगा। इस उद्देश्य से प्रशासन को भी दुरुस्त करना होगा। यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे समय-समय पर करना होगा। यह भी उतना ही आवश्यक है कि नई दिल्ली कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए लगातार गंभीर प्रयास करे। वास्तव में, वास्तविक जन लोकतंत्र ही कश्मीर की जटिल समस्याओं का एकमात्र समाधान है।

चिंतन

उप-सभापति का चुनाव राजनीतिक औचित्य का मामला नहीं, संवैधानिक दायित्व

2024 के लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चुनाव के साथ, 18वीं लोकसभा की दहलीज पर मौलिक संवैधानिक महत्व का एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत उप-सभापति का चुनाव कब किया जाएगा?

2024 के लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चुनाव के साथ, 18वीं लोकसभा की दहलीज पर मौलिक संवैधानिक महत्व का एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत उप-सभापति का चुनाव कब किया जाएगा? क्या यह एक और शब्द होगा जो अनुच्छेद 93 के विशिष्ट परिसीमन के उल्लंघन में संसदीय प्रणाली को संवैधानिक पद से वंचित करेगा? दरअसल, उप-सभापति के चुनाव का मामला महज प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है। यह संवैधानिक अनुपालन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारत की संसदीय प्रणाली के उचित कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

संविधान क्या आदेश देता है?: भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से साफ है। इसमें कहा गया है, 'जनता का सदन, जितनी जल्दी हो सके, सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा।' अनुच्छेद 93 में 'करेगा' शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक दायित्व को दर्शाता है जो विवेकाधीन की बजाय अनिवार्य है। कानून के प्रत्येक छात्र को 'हो सकता है' और 'करेगा' के बीच प्रारंभिक अंतर सिखाया जाता है। संविधान सभा की बहसों में डा. बी.आर. अम्बेडकर ने इन भूमिकाओं के महत्व पर जोर दिया। 19 मई, 1949 को उन्होंने कहा, 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने कहा, संसदीय लोकतंत्र की धुरी हैं। इसलिए, संविधान ने उनके चुनाव, उनके निष्कासन और उनके कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं'।

अनुच्छेद 93 में 'जितनी जल्दी हो सके' वाक्यांश इन चुनावों से जुड़ी तात्कालिकता और महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि यह व्यावहारिक विचारों को ध्यान में रखते हुए समय में कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है, लेकिन यह अनिश्चितकालीन स्थगन या चुनाव को पूरी तरह से रद्द करने के विकल्प की अनुमति नहीं देता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 8 में उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है। उप-सभापति का चुनाव 1952 से ही होता आ रहा है जब एम.ए. अय्यंगर को प्रथम उपसभापति चुना गया था। 2014 तक, प्रत्येक लोकसभा अवधि के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। 25 मई 2019 के बाद, संसदीय सम्मेलन में एक अभूतपूर्व और तीव्र व्यवधान आया है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 93 में 'जितनी जल्दी हो सके' वाक्यांश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलग-अलग चुनाव की अनुमति देता है। हालांकि, यह व्याख्या संविधान की भावना के विपरीत है।

अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से एकल, सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दोनों पदों के चुनाव की कल्पना करता है। 'क्रमशः' शब्द का प्रयोग इस समझ को पुष्ट करता है, जो दर्शाता है कि दोनों पदों को एक साथ भरा जाना चाहिए। जबकि व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह संभव नहीं हो सकता है और इसलिए, शायद एक सप्ताह का अंतराल अनुच्छेद 93 के विपरीत नहीं होगा।

डिप्टी स्पीकर क्यों महत्वपूर्ण है?: उप-सभापति की भूमिका केवल औपचारिक नहीं है बल्कि संसदीय लोकतंत्र के एक आवश्यक घटक के रूप में कार्य करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष विधायी कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए उनकी जिम्मेदारियां संभालता है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के संभावित विकल्प के रूप में, सदन, उसके सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक होने की अध्यक्ष की जिम्मेदारी को सांझा करता है। इसलिए, उप-सभापति का चुनाव करने में विफलता, संसद के संस्थागत ढांचे को कमजोर करती है और इसके कामकाज को बाधित करती है।

पिछले कुछ वर्षों में, विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों के निर्णय लेने से संबंधित विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप हुए हैं, जिनमें मायावती बनाम मार्कंडेय चंद एवं अन्य ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 3440, जगजीत सिंह बनाम हरियाणा, (2006) 11 एस.सी.सी. 1, डी. सुधाकर बनाम डी.एन. जीवराजू और 2012 (1) स्केल 704, बालचंद्र एल. जारकीहोली और अन्य बनाम वी. बी.एस. येद्दियुरप्पा, (2011) 7 एस.सी.सी. 1, श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा, (2020) 2 एस.सी.सी. 595; कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा और अन्य (2020) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी., सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 493/2022) महत्वपूर्ण लोगों को सूचीबद्ध करने के ये ऐसे मामले हैं जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पीठासीन अधिकारियों के ढीले निर्णय लेने पर नाराजगी व्यक्त की है।

उप-सभापति का चुनाव राजनीतिक औचित्य का मामला नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। यह जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लोकसभा इस कत्र्तव्य को तत्परता से निभाए। ऐसा करने में विफलता न केवल संविधान के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करती है बल्कि संसदीय प्रणाली की संस्थागत अखंडता को भी कमजोर करती है।-**मनीष तिवारी**

राजनीतिक इतिहास में सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक है आपातकाल

आपातकाल की दर्दनाक घटना को नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की हमेशा रक्षा करने में लोकतांत्रिक संस्थानों की जिम्मेदारी की याद दिलानी चाहिए। 25 जून 1975 को, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भारतीय...

आपातकाल की दर्दनाक घटना को नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की हमेशा रक्षा करने में लोकतांत्रिक संस्थानों की जिम्मेदारी की याद दिलानी चाहिए। 25 जून 1975 को, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने की सलाह दी। इसने 21 महीने की अवधि की शुरूआत को चिह्नित किया जो भारत की स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक इतिहास में सबसे विवादास्पद और काले अध्यायों में से एक है। नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निलंबन, सरकारी कार्यों में मनमानी और अन्य उपायों के अलावा कठोर न्यायिक हिरासत कानूनों के तहत विपक्षी नेताओं और असंतुष्टों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां आज भी हमें परेशान कर रही हैं।

1975-77 के आपातकाल में ऐसे संशोधन भी देखने को मिले, जिन्होंने संवैधानिकता की भावना को ठेस पहुंचाई। नागरिकों को उम्मीद थी कि शीर्ष अदालत इस अंधेरे समय में हस्तक्षेप करेगी लेकिन उसने इसके बजाय इंदिरा गांधी की निरंकुश प्रवृत्ति के आगे घुटने टेक दिए। ए.डी.एम. कोर्ट में जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला (ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1207) एक गंभीर आलोचना वाला मामला था, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता के अधिकार सहित कुछ मौलिक अधिकार, कार्यपालिका की आपातकाल की घोषणा के बाद भी टिक नहीं पाए। उस फैसले ने शीर्ष अदालत के सम्मान को और भी कम करने का काम किया। इस प्रतिकूल अनुभव से सबक लेते हुए, नवगठित संसद ने 30 अप्रैल 1979 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 44वां संशोधन पारित किया।

यह संशोधन एक प्रमुख संवैधानिक बदलाव था, जिसे जनता पार्टी सरकार ने 42वें संशोधन के माध्यम से 1975-77 के आपातकाल के दौरान किए गए प्रतिगामी संवैधानिक परिवर्तनों को पूर्ववत करने और भविष्य की सरकारों द्वारा सत्ता के इसी तरह के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय लाने के लिए पारित किया था। जबल शिवाकांत शुक्ला (ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1207) ने इस मामले की कड़ी आलोचना की और कहा कि कार्यपालिका द्वारा आपातकाल की घोषणा के बावजूद स्वतंत्रता के अधिकार समेत कुछ मौलिक अधिकार जीवित नहीं रहे। बस उसी फैसले ने न्यायालय के सम्मान को और अधिक नष्ट करने का काम किया। भविष्य की सरकारों द्वारा किए गए संशोधन ने अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों को सुनिश्चित करके मूल स्थिति को बहाल कर दिया।

आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं की सामूहिक हिरासत को देखते हुए, निवारक नजरबंदी की बुराई से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 22 में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े गए (संविधान 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 3)। उसका पहला अनुभाग यह था कि किसी भी निवारक निरोध अधिनियम के तहत हिरासत की अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई, दूसरा, स्टोरी बोर्ड ने 2 महीने की समाप्ति से पहले हिरासत की अवधि को 2 महीने से अधिक बढ़ाने के लिए अपनी राय दी और तीसरा, सलाहकार बोर्ड की संरचना को निर्दिष्ट किया गया था ताकि वास्तविक अभ्यास में बाधा डालने वालों के लिए कानून के नियम को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि न्याय को दिया ही नहीं जाए बल्कि निवारक नजरबंदी के मामले में ऐसा किया जाए।

हालांकि, धारा 1(2) में प्रावधान है कि संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के प्रावधान ऐसी तारीख से लागू होंगे, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रदान करेगी और इसके लिए अलग-अलग तारीखें नियुक्त की जा सकती हैं। संसद ने केंद्र सरकार को यह विवेकाधिकार दिया कि वह अधिसूचना द्वारा संशोधन को कब लागू करेगी। इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौटीं और एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन.एस.ए.), कानून 1980 बनाया जो वर्तमान तक प्रभावी है।

सरकार और राज्य सरकारों को कुछ मामलों में निवारक हिरासत का उपयोग करने के लिए केंद्र अधिकृत करता है। केंद्र और राज्य सरकारें, साथ ही जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न राज्य उद्देश्यों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने का अधिकार रखते हैं। कभी-कभी जब सरकारें विफल हो जाती हैं, तो लोगों को न्यायपालिका से आशा मिलती है, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय से, जिसे भारत में नागरिक स्वतंत्रता की संरक्षकता सौंपी गई है। अगर सरकार जो हर साल 25 जून को काले दिन के रूप में मनाती है, वास्तव में आपातकाल के युग के नुकसान को दूर करने और उन गंभीर गलतियों को नहीं दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे आपातकाल की त्रुटियों को फिर से नहीं दोहराना होगा।-**योगेश प्रताप सिंह**

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पहली तिमाही में सकारात्मक रहा निर्यात, अप्रैल-मई के दौरान वस्तु निर्यात 5.1 फीसदी की तेजी

परिवहन विशेष न्यूज

मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह सकारात्मक क्षेत्र में रहा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि से कुल निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। मई में भारत का वस्तु निर्यात 9.1 प्रतिशत बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हो गया। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन से सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।

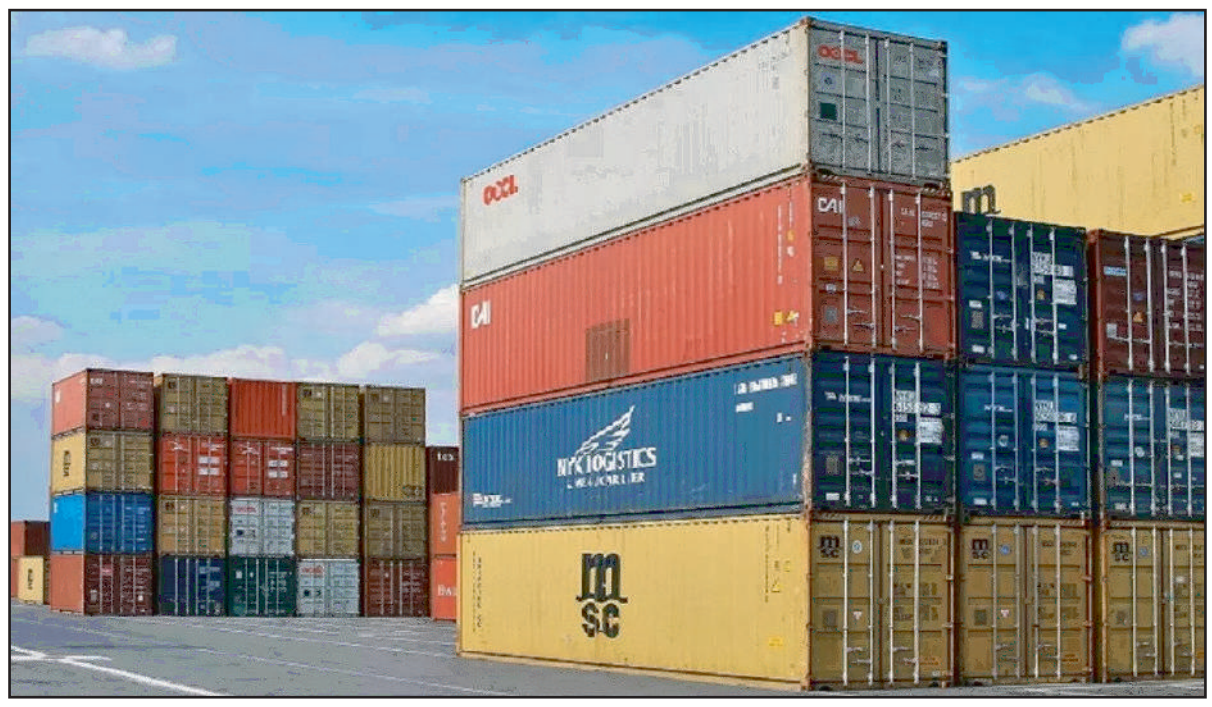

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह सकारात्मक क्षेत्र में रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि से कुल निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। मई में भारत का वस्तु निर्यात 9.1 प्रतिशत बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हो गया।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान निर्यात 5.1 प्रतिशत बढ़कर 73.12 अरब डालर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय आधिकारिक तौर पर जून के निर्यात आंकड़े 15 जुलाई यानी सोमवार को जारी करेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

चल रहे दो युद्धों (रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास), लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी के मुद्दों के बावजूद हमारा निर्यात सकारात्मक क्षेत्र में है। हमारे पास एक और लाभ यह है कि सेवा निर्यात में तेज गति से वृद्धि हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन से सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। गोयल ने कहा कि देश में 4जी और 5जी की शुरुआत से भी भारत के सेवा निर्यात को मदद मिल रही है। पिछले महीने मंत्री ने कहा था कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वित्त वर्ष में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात 800 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है।

2023-24 में निर्यात 778.2 अरब डॉलर रहा। इसमें वस्तु निर्यात 437.1 अरब डालर और सेवा निर्यात 341 अरब डॉलर रहा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंदी की स्थिति में सुधार होने और अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें कम होने के बाद प्रवाह में वृद्धि होगी।

F&O ट्रेडिंग होगी मुश्किल! सात प्रस्तावों पर हो रहा विचार, सख्त फैसले ले सकता है सेबी

सेबी ने एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है जो शेयर बाजारों में जोखिम भरे वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए सात प्रस्ताव पर विचार करेगा। साथ ही इससे जुड़े रेगुलेटरी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगा। कुल मिलाकर यह देखा जाएगा कि किन उपायों पर अमल करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए FO ट्रेडिंग का रास्ता मुश्किल किया जा सके।

नई दिल्ली। देश की रेगुलेटरी संस्थाओं से लेकर वित्त मंत्रालय तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी से चिंतित हैं। रातोंरात अमीर बनने का ख्वाब लेकर F&O ट्रेडिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर अपनी पूंजी भी गंवा बैठते हैं। यही है कि मार्केट रेगुलेटर ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो इस बात पर विचार करेगी कि खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव सेगमेंट यानी F&O ट्रेडिंग से कैसे बचाया जाए। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले 10 में से 9 निवेशक अपना पैसा गंवा देते हैं।

सात प्रस्तावों पर होगा विचार

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेबी ने जिस एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है, वह शेयर बाजारों में जोखिम भरे वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए सात प्रस्ताव पर विचार करेगी। साथ ही, इससे जुड़े रेगुलेटरी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगा। कुल मिलाकर, यह देखा जाएगा कि किन उपायों पर अमल करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए F&O ट्रेडिंग का रास्ता मुश्किल किया जा सके, ताकि वे इस सेगमेंट में पैसे गंवाने से बच जाएं।

क्या हैं ये सात प्रस्ताव?

एक्सपर्ट का यह ग्रुप निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने और एफएंडओ में जोखिम में सुधार करने के लिए छोटी अवधि की रणनीति संबंधी सिफारिश करेगा। इस समूह की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति करेगी। सूत्रों के अनुसार, इन प्रस्तावों में साप्ताहिक विकल्पों को युक्तिसंगत बनाना, परिसंपत्तियों की स्ट्राइक कीमतों को युक्तिसंगत बनाना और समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड लाभों को हटाना शामिल है।

इन तीन शेयरों में बन रहे हैं कमाई के मौके, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट प्राइस

इस वक्त शेयर मार्केट में तेजी का दौर है। कई शेयर मल्टीबैगर रिटर्न देकर निवेशकों की तिजोरी भर रहे हैं। अगर आप भी अच्छा रिटर्न देने वाले शेयर की तलाश कर रहे हैं तो हम मुश्किल को आसान कर दे रहे हैं। हम तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें एक्सपर्ट ने सुझाया है और जो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में दमदार बुल रन देखने को मिल रहा है। बहुत से शेयर बंपर रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर रहे हैं। अगर आप सही स्टॉक नहीं चुन पा रहे हैं, तो हम आपका काम आसान कर रहे हैं। LKP Securities में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे तीन ऐसे स्टॉक का सुझाव दे रहे हैं, तो आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं।

BHEL में अभी भी है दम

सरकारी क्षेत्र की BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर पिछले काफी समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसने पिछले 6 महीने में 60 और एक साल में 240 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें तेजी का दौर आगे भी बना रहेगा। LKP Securities में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे के मुताबिक, भेल को मौजूदा स्तर यानी 316 के स्तर पर खरीदना अच्छा रहेगा। इसमें उछाल के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। उन्होंने भेल का टारगेट प्राइस 340 रुपये दिया है। स्टॉप लॉस को आप 304 रुपये पर रख सकते हैं।

CDSL को गिरावट पर खरीदें

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) ने पिछले एक साल में करीब 10 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसमें भी तेजी के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। इसका करेंट मार्केट प्राइस 2,319.00 रुपये है। एलकेपी सिक्योरिटीज ने CDSL को खरीदने की सलाह तो दी है, लेकिन थोड़ी गिरावट के बाद। आप CDSL को खरीदने के लिए इसके 2250 के स्तर पर आने का इंतजार कर सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज ने CDSL के लिए टारगेट 2600 रुपये का दिया है। वहीं, स्टॉप लॉस आप 2100 रुपये पर रख सकते हैं।

बोरोसिल में भी कमाई का मौका

बोरोसिल रिन्यूएबल्स (Borosil Renewables Ltd) के शेयर पिछले एक साल से काफी शांत हैं और अब इनमें तेजी की गुंजाइश दिख रही है। पिछले एक साल में इसने सिर्फ 4 फीसदी का रिटर्न दिया है। लेकिन, एलकेपी सिक्योरिटीज का मानना है कि अब यह स्टॉक निवेशकों को कमाई का अच्छा मौका दे सकता है। ब्रोकरेज ने बोरोसिल को 500 से 515 रुपये के स्तर पर खरीदने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस आप 484 रुपये पर रख सकते हैं। अगर टारगेट प्राइस की बात करें, तो यह स्टॉक 580 रुपये तक जा सकता है।

इंश्योरेंस सेक्टर ध्यान दें, बजट सत्र में पेश हो सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक

23 जुलाई को पेश होने वाले बजट होगा। बजट सत्र में सरकार बीमा कानून संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस कदम से बैंकिंग सेक्टर की तरह विभेदित बीमा कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। बीमा अधिनियम 1938 के प्रविधानों के अनुसार जीवन बीमा कंपनियां केवल जीवन बीमा कवर ही दे सकती हैं जबकि साधारण बीमा कंपनियां स्वास्थ्य मोटर आग लगने जैसे गैर-बीमा उत्पाद बेच सकती हैं।

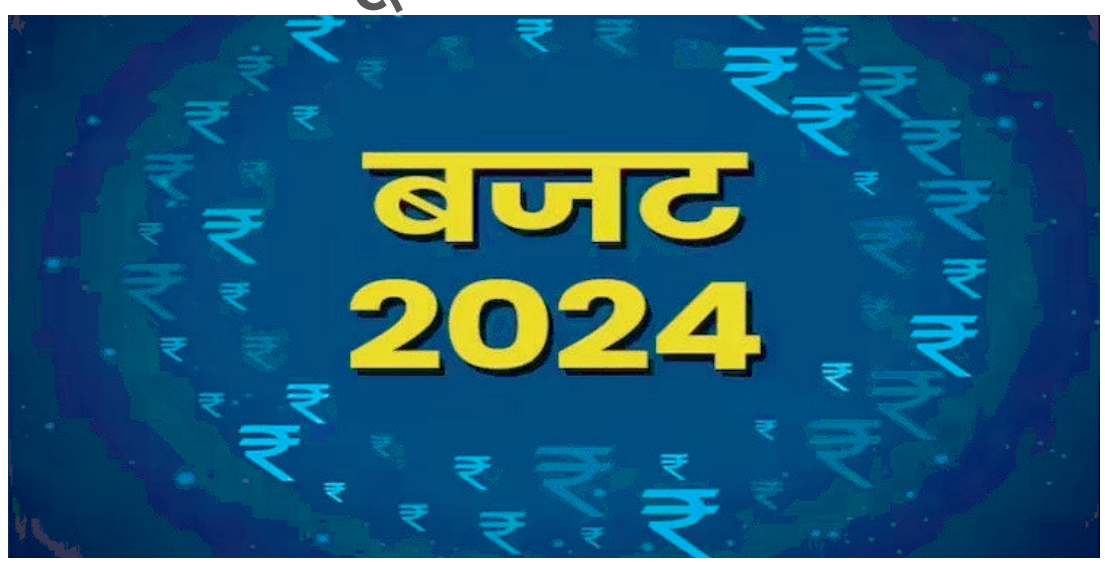

नई दिल्ली। '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रविधानों में समग्र लाइसेंस, अंतर पूंजी, साल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडिएटरी के लिए एकमुश्त पंजीकरण और बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति देना शामिल है।

इस कदम से बैंकिंग सेक्टर की तरह विभेदित बीमा कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर को इस समय सार्वभौमिक बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समग्र लाइसेंस के प्रविधान से जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा या सामान्य बीमा पॉलिसियों को 'अंडरराइट' करने की अनुमति मिलेगी।

बीमा अधिनियम, 1938 के प्रविधानों के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियां केवल जीवन बीमा कवर ही दे सकती हैं, जबकि साधारण बीमा कंपनियां स्वास्थ्य, मोटर, आग लगने जैसे गैर-बीमा उत्पाद बेच सकती हैं। इरडा (IREDA) बीमा कंपनियों के लिए समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में एक बीमा कंपनी एक इकाई के रूप में जीवन और गैर-जीवन, दोनों उत्पाद नहीं दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाना है।

मारुति की तरह सफल होगा ओला इलेक्ट्रिक का IPO? फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कही ये बड़ी बात

ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल का मानना है कि उनका आईपीओ कंपनी और इसके संभावित निवेशकों के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगी। मारुति सुजुकी ने सार्वजनिक बाजार में दमदार एंट्री के बाद काफी तेज ग्रोथ की और इससे निवेशकों को भी फायदा हुआ। मारुति का आईपीओ साल 2023 में 216 रुपये पर आया था। इसने करीब दो दशक में 6880.10 फीसदी का रिटर्न दिया है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक जल्द अपना आईपीओ लाने वाली है। यह भारत में किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी का पहला आईपीओ होगा। इस बहुप्रतीक्षित आईपीओ से पहले ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ओला और मारुति सुजुकी के बीच एक समानता बताई है।

मारुति की सफलता दोहराने की तैयारी

अग्रवाल ने कहा, ₹20 साल पहले मारुति का आईपीओ आया था। उसके बाद मारुति का कारोबार काफी बढ़ा है और इससे निवेशकों को भी फायदा हुआ है। इसीलिए हम चाहते थे कि अगर आम निवेशक हमारी सफलता की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन्हें यह मौका मिलना चाहिए। यही वजह है कि हम ओल इलेक्ट्रिक का आईपीओ ला रहे हैं।'

इस तुलना के जरिए अग्रवाल का ओला के आईपीओ के प्रति नजरिया पता चलता है। उनका मानना है कि यह कंपनी और इसके संभावित निवेशकों के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगी। जैसा कि मारुति सुजुकी के सार्वजनिक बाजार में दमदार एंट्री के साथ हुआ था। मारुति सुजुकी का आईपीओ साल 2023 में 216 रुपये पर आया था। इसने करीब दो दशक में 6,880.10 फीसदी का रिटर्न दिया है और अभी इसका भाव 12 हजार रुपये है।

ओला आईपीओ पर क्या बोले अग्रवाल?

ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर 2023 में सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करके शेयर मार्केट में लिस्ट होने की प्रक्रिया शुरू की थी। सेबी ने जून 2024 में ओला इलेक्ट्रिक के IPO के लिए अपनी मंजूरी दी। ओला 5,500 करोड़ रुपये के शेयर जारी करेगी और 1,750 करोड़ रुपये का फॉलो-ऑन-ऑफर (OFS) लाएगी। इसका मतलब कि कुल IPO का आकार 7,250 करोड़ रुपये होगा।

अग्रवाल को उम्मीद है कि मार्केट रेगुलेटर से अंतिम मंजूरी जल्द मिलेगी और आईपीओ इस साल पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, ₹हमने अंतिम अवलोकन दाखिल कर दिए हैं। अगले कुछ हफ्तों में अभी भी कई प्रक्रिया चरण पूरे होने हैं। हम बेशक जल्द से जल्द शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं, लेकिन कोई तारीख नहीं बता सकते। सेबी की एक प्रक्रिया होती है, जिसका हर किसी को पालन करना होता है।'

थोक पैकिंग वाली वस्तुओं पर अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव, केंद्र ने 29 जुलाई तक मांगे सुझाव और आपत्ति

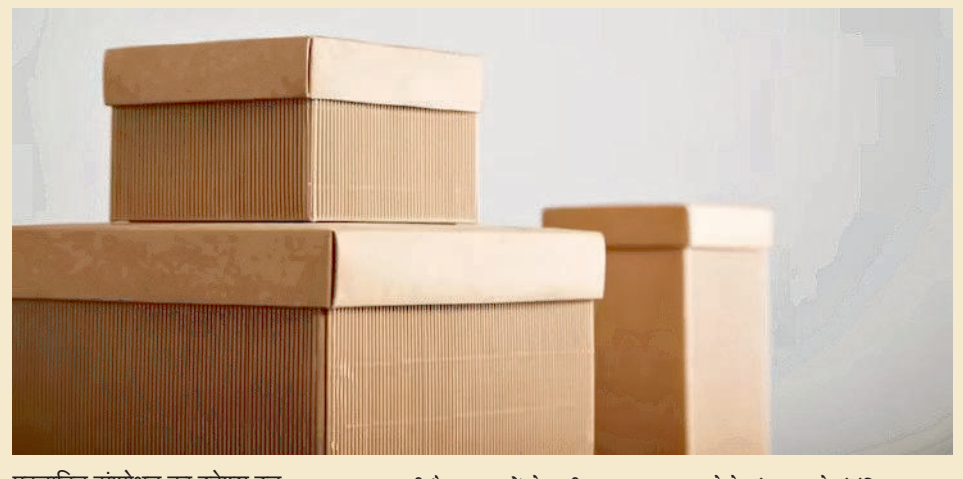

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उन कमियों को दूर करना है जिनके तहत थोक पैकिंग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) समाप्ति तिथि एवं निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देने की छूट रहती है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने संबंधित प्रस्ताव पर आम लोगों से 29 जुलाई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफार्म के लिए अनिवार्य होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैक वस्तुओं से संबंधित विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत खुदरा बिक्री वाली 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन अथवा 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली पैक वस्तुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। उपभोक्ताओं के हित में पहले से सभी पैक की गई वस्तुओं पर निर्माता, पैकर, आयातक का नाम और पता, उत्पत्ति का देश, वस्तु का नाम, मात्रा, निर्माण का माह और वर्ष, एमआरपी, पैक बिक्री मूल्य, सर्वोत्तम उपयोग की तिथि आदि विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा।

ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफार्म के लिए अनिवार्य होगा। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उन कमियों को दूर करना है, जिनके तहत थोक पैकिंग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), समाप्ति तिथि एवं निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देने की छूट रहती है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने संबंधित प्रस्ताव पर आम लोगों से 29 जुलाई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। अगर नया नियम लागू होता है तो औद्योगिक या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।

मंत्रालय की ओर से रविवार को कहा गया है कि 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाली पैक वस्तुएं भी बाजार में खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। नियमों में संशोधन के बाद खुदरा बिक्री के सभी पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर व्यापक लेब¨लग करना जरूरी होगा। पैक वस्तुओं की मात्रा चाहे जितनी हो। नए नियम से उद्योग जगत में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को मनमाफिक विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

बाइडन से टेलर स्विफ्ट तक..., X पर फॉलोअर के मामले में PM मोदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; 100 मिलियन हुए फॉलोवर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया रिकॉर्ड बनाते हुए 100 मिलियन फॉलोअर के आंकड़े को पार कर लिया है। फॉलोअर्स की संख्या के मामले में पीएम मोदी ने दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि कनाडा ब्रिटेन जैसे कई देशों की आबादी से भी अधिक लोग पीएम मोदी को फॉलो करते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। एक्स पर पीएम मोदी को फालो करने वालों की संख्या रविवार को 10 करोड़ के पार पहुंच गई। पिछले तीन वर्षों में उनके तीन करोड़ फॉलोअर बढ़े हैं।

वह पहले से ही वैश्विक स्तर पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले शासनाध्यक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, 'एक्स पर 100 मिलियन! इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं।'

किसी को नहीं किया ब्लॉक

अधिकारियों ने बताया कि 2009 में एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) से जुड़ने के बाद से पीएम मोदी ने लगातार इसका उपयोग रचनात्मक कार्य के लिए किया है। उन्होंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया। पीएम मोदी विश्व के अन्य शासनाध्यक्षों से कई गुना आगे हैं। पीएम मोदी के फॉलोअर की संख्या विश्व के अन्य शासनाध्यक्षों से कई गुना अधिक है।

किसके कितने हैं फॉलोअर?

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के तीन करोड़ 81 लाख, तुर्किये के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन के दो करोड़ 15 लाख फॉलोअर हैं। पोप फ्रांसिस के एक करोड़ 85 लाख, दुबई के शासक शेख मोहम्मद के एक करोड़ 12 लाख, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के 65 लाख, इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के 24 लाख फॉलोअर हैं।

पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय खिलाड़ियों से भी अधिक लोकप्रिय हैं। क्रिकेटर विराट कोहली के छह करोड़ 41 लाख फॉलोअर हैं। ब्राजील के फुटबालर नेमार जूनियर छह करोड़ 36 लाख, अमेरिकी बास्केटबाल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स के पांच करोड़ 29 लाख फॉलोअर हैं। पीएम मोदी ने टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा, अमेरिकी सोशलाइड किम करदाशियां से भी आगे हैं।

टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा से भी आगे

टेलर स्विफ्ट के नौ करोड़ 53 लाख, लेडी गागा आठ करोड़ 31 लाख, किम करदाशियां के सात करोड़ 52 लाख है। पीएम मोदी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब पर पीएम मोदी के ढाई करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर की संख्या नौ करोड़ से अधिक है।

विपक्षी नेताओं से कई गुना अधिक लोकप्रिय हैं पीएम मोदी

भारतीय नेताओं में पीएम मोदी की लोकप्रियता अन्य विपक्षी नेताओं से कई गुना अधिक है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को फॉलो करने वालों की संख्या दो करोड़ 75 लाख है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो करोड़ 64 लाख लोग फॉलो करते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के फॉलोअर की संख्या एक करोड़ 99 लाख है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 74 लाख, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 63 लाख, राजद नेता तेजस्वी यादव के 52 लाख, राकांपा संस्थापक शरद पवार के 29 लाख फॉलोअर हैं।

कनाडा की जनसंख्या से ढाई गुना अधिक है पीएम मोदी के फॉलोअर

आईएएनएस के अनुसार इस उपलब्धि का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि एक्स पर पीएम मोदी के कुल फॉलोअर की संख्या कनाडा की जनसंख्या से ढाई गुना, ब्रिटेन की जनसंख्या से 1.4 गुना, जर्मनी की जनसंख्या से 1.2 गुना, इटली की जनसंख्या से ढाई गुना, आस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 3.7 गुना और न्यूजीलैंड की जनसंख्या से 18 गुना अधिक है।

प्रभारी मंत्री ने ली बजट घोषणा 2024-25 के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक

माननीय प्रभारी मंत्री , माननीय सांसद , स्थानीय विधायक , प्रभारी सचिव , ज़िला कलेक्टर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियो ने गांधीवाटिका में किया पौधारोपण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। सार्वजनिक निर्माण ।विभाग , महिला एवं बाल विकास विभाग , बाल अधिकारिता विभाग की राज्यमंत्रि तथा ज़िला प्रभारी मंत्री डॉ मंजू बाघमार की अध्यक्षता में रविवार को ज़िला कलेक्ट्रेट के सभागार में बजट घोषणा 2024-25 के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान की वस्तुस्थिति की प्रगति की समीक्षा की गई।प्रभारी मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने बताया कि समीक्षा बैठक का मुख्य विषय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनत्तम बजट में जिले के लिए की गई विशिष्ट घोषणाओं की सफल एवं समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु तुरन्त प्रभाव से तैयारी करते हुए सभी को जागरूक करना है। जिससे इनको आसानी से चरणबद्ध रूप से निर्धारित समय में जमीनी स्तर पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध कियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं की क्रियान्विती सुनिश्चित करने के लिए भूमि चिन्हित कर भूमि आवंटन करने, शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर भेजने के दिशा निर्देश दिए।

बैठक के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि जिले के लिए स्पेसिफिक बजट घोषणाओ के साथ बाकी अन्य लगभग 20-25 ऐसी बजट घोषणाएँ है जो राज्य के सभी जिलों के लिए हैं और जिनमें शाहपुरा भी सम्मिलित है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश संबन्धित अधिकारियों को प्रदान किए गए।

बैठक में जिले में संचालित वृक्षारोपण महाअभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वृक्षारोपण के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और न ही किसी भी प्रकार का विलम्ब होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विभिन्न संस्थाओं जैसे नगर परिषद, पंचायती राज, आदि के हितधारकों सहित आमजन को इस मुहिम से जोड़ते हुए इस महाभियान को सफल बनाएँ। यह खुशी की बात है कि अभी तक लगभग 8 लाख पेड़ जिले में लगवाए जा चूकें हैं और नियमित रूप से अधिक से अधिक वृक्ष लगवाए जा रहें हैं।

बैठक के दौरान शाहपुरा विधायक लालाराम

बैरवा , जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ज़िला प्रभारी सचिव जितेंद्र कुमार सोनी , ज़िला कलेक्टरराजेंद्र सिंह शेखावत , अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर सुनील पुनिया , पुलिस अधीक्षक राजेश कांवत , उपवन संरक्षक गौरव गर्ग , नगर परिषद चेयरमैन रघुनन्दन सोनी , भाजपा ज़िला अध्यक्ष प्रशांत मेवाडा सहित सभी ज़िला स्तरीय अधिकारिगण मोजूद रहे ।

समीक्षा बैठक के पश्चात प्रभारी मंत्री डॉ मंजू, सांसद अग्रवाल , शाहपुरा विधायक बैरवा , जहाजपुर विधायक मीणा , प्रभारी मंत्री जितेन्द्र कुमार , ज़िला कलेक्टर शेखावत , भाजपा ज़िला अध्यक्ष मेवाड़ा , नगर परिषद सभापति रघुनन्दन आदि ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अन्तर्गत गांधिवाटिका में पौधारोपण किया।

'इजरायल से तुरंत रणनीतिक संबंध खत्म करे भारत', इस मुस्लिम संगठन ने कर दी बड़ी मांग

इजरायल से सभी रणनीतिक संबंधों को खत्म करने की मांग उठी है। यह मांग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है। बोर्ड का कहना है कि इजरायल ने अवैध कब्जा किया है। युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। भारत सरकार को तुरंत सभी संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजरायल पर दबाव डालने का अनुरोध भी किया है।

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को एक अहम बैठक की। मीटिंग में आठ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से एक प्रस्ताव फिलिस्तीन-इजरायल युद्ध से जुड़ा था। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने भारत सरकार से इजरायल के साथ सभी रणनीतिक संबंध खत्म करने की मांग की। उन्होंने सरकार से यह भी अपील की है कि युद्ध खत्म करने के लिए इजरायल पर दबाव बनाया जाए।

इजरायल ने किया अवैध कब्जा

इलियास ने कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का रुख हमेशा से साफ रहा है कि हम दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इजरायल ने इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। फिलहाल वहां युद्ध चल रहा है और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अब भी बड़े देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं। बोर्ड ने इसकी निंदा की है और कहा है कि मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं है।

इलियास ने कहा कि बोर्ड सरकार से इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध खत्म करने और युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने का आग्रह करता है। हमारे देश को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा कि हमने रूस-यूक्रेन युद्ध में किया था।

उपासना स्थल का भी किया जिक्र

कासिम इलियास ने कहा, "बाबरी मस्जिद की घटना से पहले हमारे देश में उपासना स्थल अधिनियम 1991 नाम से एक कानून था। सभी लोग सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत का आखिरी धार्मिक विवाद होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए विवाद अब भी सामने आ रहे हैं। हम अदालत में पेश कर रहे हैं कि इन विवादों को उपासना स्थल अधिनियम के तहत नहीं माना जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि नवीनतम विवादों में धार्मिक अधिनियम को भी शामिल किया जाए।"

मॉब लिंचिंग का मुद्दा भी उठाया

इलियास ने मॉब लिंचिंग का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा, रहाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि मतदाताओं ने नफरत और दुश्मनी की भावना के खिलाफ मतदान किया है। इसके बावजूद मॉब लिंचिंग के मामलों में कमी नहीं आई है। चुनाव नतीजों के बाद मॉब लिंचिंग के 11-12 मामले सामने आ चुके हैं। ये बर्बर कृत्य कानून के शासन को कमजोर करता है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा देना कानून का अधिकार है।"

श्रीधाम वृंदावन के संत द्वारा सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव 18 जुलाई से

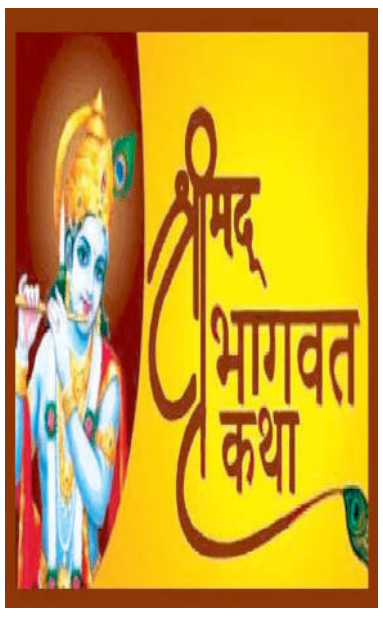

भीलवाड़ा। श्री पुराना शहर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा के तत्वाधान सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव 18 जुलाई गुरुवार से 24 जुलाई बुधवार तक बड़े मंदिर की बगीची भीलवाड़ा में दोपहर 3 से 6 बजे तक भागवत कथा का रसपान श्री धाम वृंदावन के प्रखर एवं क्रांतिकारी वक्ता आचार्य शक्ति देव महाराज के मुखारविंद से धर्म एवं ज्ञान कि गंगा बहेगी

मीडिया प्रभारी महावीर समदानी में बताया कि सप्त दिवसीय आयोजित होने वाली कथा कि आज मीटिंग आयोजित की गई जिसमें सभी को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई, इस अवसर पर उदयलाल समदानी, कैलाश बाहेती ,सत्यनारायण तोतला, शिवकुमार बिडला, बद्री लाल राठी, रमेश चंद्र बाहेती बड़ा मंदिर, जगदीश लाहोटी ,चांदमल बहेडिया, गोपाल लाल सोमानी, उपस्थित थे, सप्त दिवसीय कथा में यह आयोजन होंगे जिसमें

प्रथम दिवस कलश यात्रा एवं कथा प्रारंभ ,द्वितीय दिवस महाभारत प्रसंग परीक्षित जन्म एवं सुखदेव जी की झांकी,तृतीय दिवस सृष्टि की उत्पत्ति ध्रुव चरित्र सती चरित्र एवम शिव पार्वती विवाह,चतुर्थ दिवस राम कथा एवं कृष्ण जन्मोत्सव,पंचम दिवस बाल लीलाएं गिर्राज पूजन एवं छप्पन भोग ,षष्ठम दिवस रासलीला उद्धव प्रसंग कृष्ण रुक्मणी विवाहउत्सव एवं ब्रज होली,सप्तम दिवस सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष एवं व्यास विदाई का संगीतमय आयोजन होगा।

उच्च-प्रदर्शन स्व-चर्चा आपके करियर की सफलता को बढ़ावा देती है

विजय गर्ग

आपकी स्वयं के साथ की गई मौन बातचीत आपके करियर की सफलता को बना या बिगाड़ सकती है, और विशेषज्ञों ने उस आत्म-चर्चा की खोज की है जो करियर में उच्च सफलता की ओर ले जाती है। हमारे करियर अंदर से बाहर तक आकार लेते हैं। अगर हम इसे अपने पेशेवर जीवन पर हावी होने देते हैं तो नकारात्मक आत्म-चर्चा हमारे दिलों पर हावी हो सकती है और करियर की प्रगति को कम कर सकती है। या यह हमें करियर की असीमित ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमारे पास आत्म-चर्चा के दो संस्करण हैं। एक बिजली की तरह तेज़ और सहज है - जो मस्तिष्क के भावनात्मक मस्तिष्क के रूप में जाने जाने वाले प्रतिवर्ती भाग से निकलता है। यह कठोर, उत्तरजीविता आवाज आलोचनात्मक और नकारात्मक होती है और चिंता, अवसाद, आत्म-संदेह और आत्म-तोड़फोड़ का कारण बन सकती है। दूसरी आंतरिक आवाज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या सोच मस्तिष्क से निकलती है जिसमें उच्च स्तर के चिंतनशील, जानबूझकर और सकारात्मक विचार शामिल होते हैं। यह तर्कसंगत आवाज़ स्व-नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक सीखा हुआ कौशल है जो आपके ₹सोचने वाले मस्तिष्क₹ को सक्रिय करता है, भावनात्मक मस्तिष्क की निष्क्रिय मानसिक स्थिति को कम करता है और शांति, आत्मविश्वास, स्पष्टता और खुशी जैसी स्वस्थ भावनाओं को अनलॉक करता है - ये सभी कैरियर की सफलता को बढ़ावा देते हैं। उच्च-प्रदर्शन स्व-चर्चा और स्व-नियमन कैरियर की सफलता व्यक्तिगत स्तर पर संयम, आत्म-नियंत्रण, आंतरिक शांति और आत्म-करुणा का अभ्यास करने से शुरू होती है। और जैसे-जैसे हम अपने लचीले क्षेत्रों का विस्तार करते हैं, नौकरी की व्यस्तता, प्रदर्शन और संतुष्टि हमारे करियर के पथ पर बढ़ती रहती है।

आत्म-चर्चा का तंत्रिका विज्ञान दिखाता है कि हम अपनी आंतरिक आवाज़ का उपयोग कर सकते हैं हमारे तनाव के स्तर को कम करें, असफलताओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में सुधार करें और हमारे करियर में प्रदर्शन के स्तर को ऊपर उठाएं। हमारे दिमाग में चल रहा भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील एकालाप हमें बता सकता है कि अगर हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो हम असफल हो जाएंगे, हमें पिज्जा का एक और टुकड़ा खाने के लिए उकसाएंगे या हमें याद दिलाएंगे कि हमारी प्रस्तुति कितनी अयोग्य थी। आप अपने सकारात्मक सोच वाले मस्तिष्क को ऑफ़लाइन करने के लिए अपने आवेगी, आत्म-विसर्जित, गैर-सोच भावनात्मक मस्तिष्क को दोषी ठहरा सकते हैं। एक बार जब आपका चिंतनशील, वस्तुनिष्ठ सोच वाला मस्तिष्क वापस लाइन पर आ जाता है, तो आप स्पष्ट हो जाते हैं और इसके विपरीत साक्ष्य की एक बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। अधिकांश लोगों के दिमाग में हर समय एक आंतरिक एकालाप चलता रहता है। वह आंतरिक आवाज जितनी मजबूत होगी, आप कुछ कार्यों में उतने ही बेहतर होंगे। साइंटिफिक अमेरिकन में एक नए अध्ययन के अनुसार, मजबूत आंतरिक आवाज वाले लोग कमजोर आंतरिक आवाज वाले लोगों की तुलना में अन्य बातों के अलावा, मौखिक स्मृति को मापने वाले मनोवैज्ञानिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एथन क्रॉस का शोध आत्म-चर्चा के विज्ञान को और भी अधिक तोड़ देता है। उन्होंने पाया है कि आत्म-चर्चा स्व-नियमन और कार्यकारी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है, साथ ही यह एक चुनौतीपूर्ण घटना से पहले और बाद में तनाव को दूर करने का एक तरीका है जब हम अक्सर काम पर प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं। क्रॉस ने प्रतिभागियों को भाषण तैयार करने के लिए पाँच मिनट का समय दिया। आधे से कहा गया कि वे स्वयं को संदर्भित करने के लिए केवल पहले व्यक्ति सर्वनाम ₹मैं₹ का उपयोग करें जबकि अन्य आधे से कहा गया कि वे अपने नाम का उपयोग करें। सर्वनाम समूह में इस तरह की टिप्पणियों के साथ अधिक चिंता थी, ₹मैं संभवतः पांच मिनट में भाषण कैसे तैयार कर सकता हूं,₹ जबकि नाम समूह में कम चिंता थी और आत्म-चर्चा का उपयोग करके आत्मविश्वास व्यक्त किया, जैसे

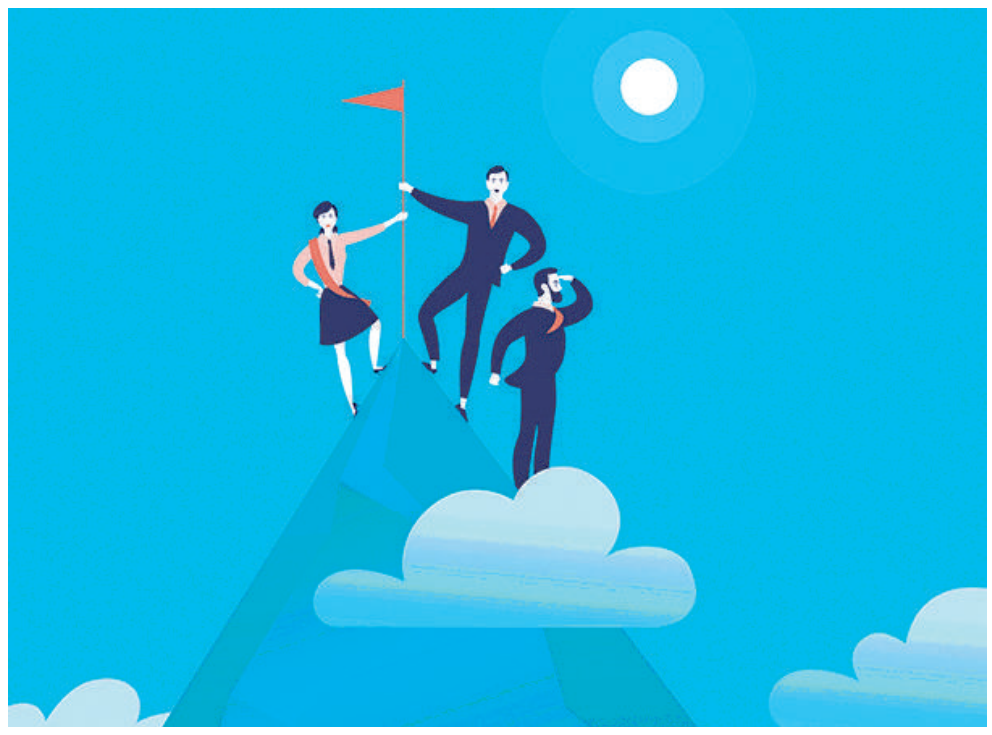

मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एथन क्रॉस का शोध आत्म-चर्चा के विज्ञान को और भी अधिक तोड़ देता है। उन्होंने पाया है कि आत्म-चर्चा स्व-नियमन और कार्यकारी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है, साथ ही यह एक चुनौतीपूर्ण घटना से पहले और बाद में तनाव को दूर करने का एक तरीका है जब हम अक्सर काम पर प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं। क्रॉस ने प्रतिभागियों को भाषण तैयार करने के लिए पाँच मिनट का समय दिया। आधे से कहा गया कि वे स्वयं को संदर्भित करने के लिए केवल पहले व्यक्ति सर्वनाम ₹मैं₹ का उपयोग करें जबकि अन्य आधे से कहा गया कि वे अपने नाम का उपयोग करें। सर्वनाम समूह में इस तरह की टिप्पणियों के साथ अधिक चिंता थी, ₹मैं संभवतः पांच मिनट में भाषण कैसे तैयार कर सकता हूं....

₹ब्रायन, आप यह कर सकते हैं।₹ स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा नाम समूह को प्रदर्शन में उच्च दर्जा दिया गया था और भाषण के बाद विचार करने की संभावना कम थी। इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपी के निर्माता डॉ. रिचर्ड श्वार्ट्ज इसी तरह की क्लिनिकल रिपोर्ट देते हैंजाँच - परिणाम। वह बताते हैं कि जब आप अपनी आत्म-बातचीत में पहले व्यक्ति सर्वनाम का उपयोग करते हैं, तो भावना - चिंता, चिंता या हताशा - आपके साथ मिश्रित हो जाती है, और जब आप ₹वह भावना बन जाते हैं₹, तो यह आपके कार्यों को अक्षम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, आप भावनात्मक रूप से अपहृत हो जाते हैं और उस क्षण अपनी निष्पक्षता खो देते हैं। लेकिन जब आप मैत्रीपूर्ण आत्म-चर्चा के साथ अपने भावनात्मक हिस्से को स्वीकार करते हैं और उसे वहां रहने देते हैं, तो आप भावनाओं से अलग हो जाते हैं और अधिक आत्म-नियमन करते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि कार्यों को करते समय अपनी शांत, आंतरिक आवाज़ का उपयोग करने से आपको आत्म-नियंत्रण मिलता है और प्रतिक्रियाशील भावनात्मक आत्म-चर्चा को आवेगपूर्ण निर्णय लेने से रोकता है जो त्रुटियों और गलतियों को जन्म देता है। निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि अपने आप को संदेशों को मौखिक रूप से कहने में सक्षम होने के बिना, उसी मात्रा में आत्म-नियंत्रण को नियोजित करना मुश्किल है जब आप प्रक्रिया के दौरान खुद से बात कर सकते हैं।

सीईओः सी-सूट समाचार, विश्लेषण और शीर्ष निर्णय निर्माताओं के लिए सलाह सीधे आपके इनबॉक्स में। मेल पता साइन अप करें साइन अप करके, आप हमारी सेवा की शर्तों से सहमत होते हैं, और आप हमारे गोपनीयता कथन को स्वीकार करते हैं। गूगल गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी आत्म-बातचीत में प्रथम-व्यक्ति सर्वनाम ₹मैं₹ का उपयोग करते हैं, तो आप नकारात्मक, भावनात्मक आवाज़ से पहचान करना जारी रखते हैं। लेकिन जब आप अपने जैसे तीसरे पक्ष की भाषा का उपयोग करते हैं, तो यह चिंतन को बेअसर कर देता है और आपको आवेग नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है, खासकर खतरे, अनिश्चितता और अशांति के माहौल के दौरान जैसे कि हम आज रहते हैं और काम करते हैं।

मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि परेशान करने वाली तस्वीरें (जैसे सिर पर बंदूक पकड़े हुए एक आदमी) देखते समय तीसरे व्यक्ति से आत्म-चर्चा (जैसे आप, वह या वह) का उपयोग करने वाले लोगों के मस्तिष्क स्कैन उनके भावनात्मक संकट को नियंत्रित करने में बेहतर थे। , और जब उन्होंने खुद को तीसरे व्यक्ति में संदर्भित किया तो उनकी परेशानी कम हो गई। अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि दूर की आत्म-चर्चा, गैर-आहार करने वालों की तुलना में, आहार करने वालों को एक आत्म-नियंत्रण रणनीति देती है जो स्वस्थ भोजन को प्रोत्साहित करती है, साथ ही गैर-आहार करने वाले उसी आत्म-नियंत्रण रणनीति का उपयोग करके स्वस्थ भोजन विकल्प चुनते हैं। तीसरे व्यक्ति में खुद से बात करने का यह सरल कार्य, जैसे आप दूसरों से बात करते हैं, आत्म-नियंत्रण में मदद करता है। इसके लिए प्रथम-व्यक्ति आत्म-चर्चा से अधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, और शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास के लाभ प्रयास के लायक हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे।
RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023